



105 वां अंक | अवधि : छमाही

सत्यमेव जयते

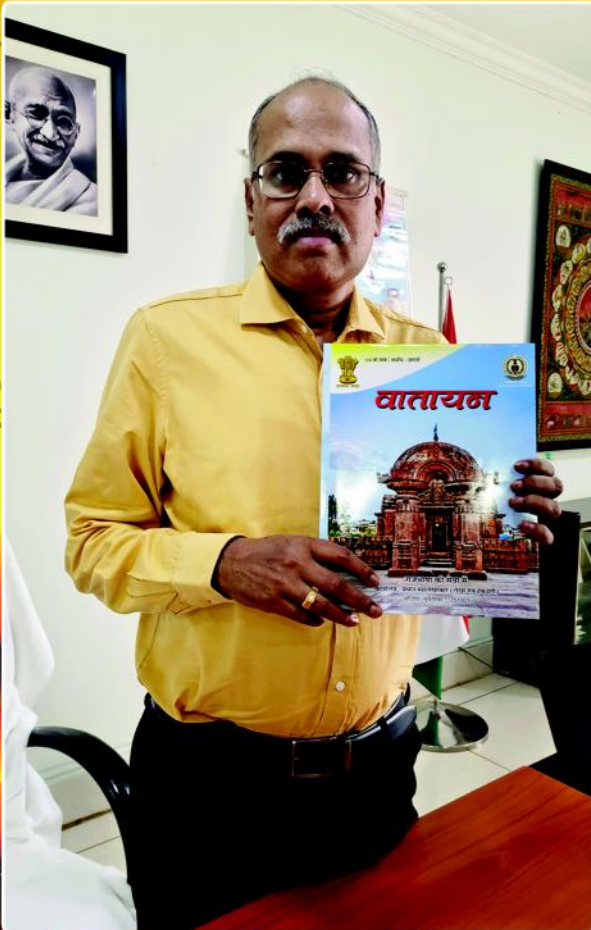


लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वातायन



राजभाषा की सेवा में
कार्यालय : प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
ओड़िशा, भुवनेश्वर - 751001



वातायन

(अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023)



सत्यमेव जयते

राजभाषा की सेवा में

कार्यालय : प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
ओड़िशा, भुवनेश्वर - 751001

पत्रिका परिवार

मुख्य संरक्षक

श्री अनंत किशोर बेहेरा

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओड़िशा, भुवनेश्वर

संरक्षक

श्री श्रीराज अशोक

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन/लेखा एवं वीएलसी)

प्रकाशन एवं मार्गदर्शन समिति

सुश्री एस. अरुणा

उप महालेखाकार (पेंशन)

श्री पी. असोकन

उप महालेखाकार (निधि)

श्री चार ओराम

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

संपादक

डॉ. मंजेश परासर

हिन्दी अधिकारी

सहयोग

सुश्री रूपा कुमारी, वरिष्ठ अनुवादक

सुश्री सुनीता देवी, कनिष्ठ अनुवादक

श्री शिवानंद, कनिष्ठ अनुवादक

श्री अजय कुमार साव, कनिष्ठ अनुवादक

श्री रंजीत सिंह, कनिष्ठ अनुवादक

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं रचनाकारों के व्यक्तिगत विचार एवं भावनाएं हैं। कार्यालय व संपादक मंडल का रचनाकारों के विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं है।



अनंत किशोर बेहेरा

प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)

मुख्य संरक्षक की कलम से...

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 'वातायन' का 105वां अंक प्रकाशित हो रहा है। 'वातायन' की लंबी यात्रा यह इंगित करती है कि कार्यालय में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ रही है। कार्यालय में हिंदी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने में हिंदी गृह पत्रिका का अनुपम योगदान है। यह हिंदीतर भाषी व्यक्तियों को भी हिंदी भाषा के माध्यम से सरल एवं सहज अभिव्यक्ति हेतु प्रेरित करने के साथ-साथ सम्पूर्ण भारत को एक पटल पर लाने हेतु एकजुट करती है।

कार्यालय की गृह पत्रिका कार्मिकों के सृजनशीलता को संपोषित करने के साथ-साथ राजभाषा के प्रचार-प्रसार में भी सहायक है।

मुझे आशा है कि 'वातायन' पत्रिका कार्यालयी कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई।

र. क. बेहेरा

(अनंत किशोर बेहेरा)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)



श्रीराज अशोक

वरिष्ठ उप महालेखाकार
(प्रशासन)

संरक्षक की कलम से...

हिंदी हमारे राष्ट्र की केवल पहचान ही नहीं गौरव भी है जो राष्ट्र स्तर एवं विश्व स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करती है। इसके लिए आवश्यक है कि भारत के सभी लोग अपनी मातृभाषा के साथ-साथ हिंदी को भी अपनी पहचान का माध्यम बनाएं।

केन्द्रीय कार्यालयों में हिंदी पत्रिका का प्रकाशन वहाँ के कार्मिकों में हिंदी के प्रति संवेदनशीलता के साथ-साथ संवैधानिक दायित्व के प्रति उनकी मनोदशा को भी दर्शाता है। कार्यालय की गृह पत्रिका वातायन के 105वें अंक का प्रकाशन अत्यंत हर्ष का विषय है तथा यह दर्शाता है कि कार्यालय में हिंदी के प्रति रुचि में वृद्धि हो रही है। यह पत्रिका कार्यालय में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग करने हेतु कार्मिकों को प्रोत्साहित करेगी।

मैं आशा करता हूँ कार्यालय में भी राजभाषा संबंधी नैतिक एवं संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने में भी कार्यालय के कार्मिक अपना भरपूर योगदान देंगे।

पत्रिका के संपादक मण्डल व सभी रचनाकारों को हार्दिक शुभकामनाएं।

(श्रीराज अशोक)

वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन



डॉ. मंजेश परासर

हिंदी अधिकारी

संपादक की कलम से.....

'वातायन' का 105वां अंक कार्यालय के कार्मिकों के हिंदी के प्रति प्रेम व उत्साह का परिणाम है। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि कार्यालय की यह गृह पत्रिका सतत प्रकाशित हो रही है। 'वातायन' का सतत प्रकाशन यह दर्शाता है कि राजभाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति कठिन नहीं अपितु सरल है। हिंदी जो वैश्विक पटल पर हमारा प्रतिनिधित्व करती है न केवल पूरे देश की भाषाओं और बोलियों को एक सूत्र में पिरोती है वरन देश को सुदृढ़ तथा समृद्ध करती है।

'वातायन' के इस अंक में प्रकाशित रचनाएं कार्यालय के कार्मिकों के भावों व विचारों का सुंदर चित्रण करती है तथा उनके मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें उत्साहित भी करती है। 'वातायन' का यह अंक पाठकों को अवश्य प्रभावित करेगा। गृह पत्रिका का प्रकाशन एवं कार्मिकों का हिंदी रचनाओं के माध्यम से योगदान कार्यालयी कार्यों में हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक करने में भी सहायक होगा तथा राजभाषा के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। आशा है 'वातायन' का यह अंक पाठकों का भरपूर मनोरंजन करेगा तथा पाठकों का सुझाव हमें और बेहतर करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। 'वातायन' के इस अंक की सफलता के लिए सभी रचनाकारों व संपादक मण्डल को हार्दिक शुभकामनाएं।

(मंजेश)

(डॉ. मंजेश परासर)

हिंदी अधिकारी

अनुक्रमणिका

क्र. सं. शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठांक
1. मातृशक्ति	सुनीता देवी	7
2. कविता	सोनू कुमार	9
3. निःशब्दता से भरा अंधकार	अजय कुमार साव	10
4. बेटी की विदाई ससुराल को, दुनिया का दस्तूर है	वीणापाणी महांती	11
5. पहलू प्रेम के	दीपक यादव	12
6. हीरा, नीला, मोती, माणिक	शांतिलता सेठी	15
7. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना	रवि कुमार	18
8. महिला चेतना	रूपा कुमारी	20
9. समय की लय	प्रिय चंदन कुमार	26
10. दहेज प्रथा	सोनी कुमारी साव	27
11. दादी : एक अनुभव भरी हथेली	रंजीत सिंह	29
12. अंतिम समय में	प्रभा कांग्री	31
13. कोरोना संक्रमण काल में भारत	संजीव कुमार दुबे	33
14. परोपदेश	शिवानंद	35
15. तीन छोटी कविताएं	मनोरंजन पाणिग्राही	36
16. गाँव-गाँव और शहर-शहर	अभिषेक कुमार	37
17. मृत्युभोज की तार्किकता	रवि कुमार	39
18. जिंदगी	शुभश्री पात्रा	42
19. थोड़ा ठहरो तो सही	रंजीत सिंह	43
20. खो गया	अजय कुमार साव	44



मातृशक्ति

सुनीता देवी

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

हे मातृशक्ति है तुम्हें नमन
तुम सा ना कोई और सृजन।

तेरे जैसा कोई और नहीं,
ना ही कोई बन सकता है।
अब बिना शर्त के प्यार भला,
कोई और कहां कर सकता है।

तू तो मुझको तब से जाने,
जब जग को मेरा ज्ञान न था।
तू तो मुझको तब से माने,
जब मेरे मन में मान न था।

मां तेरे प्यार व ममता की,
यह सुखद निराली छाया है।
तू तब से मुझको प्यार करे,
जब "दो लकीर" बन आया मैं।

तेरे चरणों में झुके धरा,
तेरा जय गान करे ये गगन।
हे मातृशक्ति है तुझे नमन,
तुम सा ना कोई और सृजन।

कोई कितना भी प्यार करे,
पर तेरे जितना ना होगा।
मां तेरा प्यार तो औरों से,
नौ माह सदा ज्यादा होगा।

तू रक्तवाहिनी जीवन की,
तेरे बिन जीवन है निर्जन !
हे मातृशक्ति है तुम्हें नमन,
तुम सा ना कोई और सृजन।

तू जीवन का आधार है मां।
तू सबकी प्राणाधार है मां।
तेरा अस्तित्व न हो गर तो,
अस्तित्वहीन संसार है मां।

जब-जब मन पर आघात हुआ,
तब याद तुम्हारी आई है।
पर यादों का भी क्या आना,
तू तो मानस पर छाई है।

मन में तेरी तस्वीर लगी,
तुम को ही देखें सदा नयन।
हे मातृशक्ति है तुम्हें नमन,
तुम सा ना कोई और सृजन।

तू धरती जितनी सहनशील,
सब कुछ खुद ही सह लेती है।
अपने बच्चों के खातिर मां,
तू जीवन नइया खेती है।

तू ही तो पहली गुरु है मां,
तुझसे जीवन का सार सभी।
तेरे संघर्ष-तपस्या को,
कब कर सकता इनकार कोई।

तू ममता की मूरत जैसी,
तू अनुशासन की है दर्पण।
हे मातृशक्ति है तुम्हें नमन,
तुम सा ना कोई और सृजन।

तेरे चरणों में स्वर्ग है मां,
बाकी दुनिया एक मेला है।
तेरी गोदी तो ऐसी है,
जहां स्वयं विधाता खेला है।

तू शक्ति स्वरूपा है जननी,
तू ही सावित्री सीता है।
तू ही रामायण है माता,
तू ही तो भगवद्गीता है।

तुझ में ही सारे वेद-शास्त्र,
तू ही तो है जीवन-दर्शन।

हे मातृशक्ति है तुम्हें नमन,
तुम सा ना कोई और सृजन।

तेरे आशीष वचन के बिन,
कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं।
तेरे आंचल की छाया बिन,
जीवन का मार्ग प्रशस्त नहीं।

जल-थल-नभ हैं तेरे अंदर,
संसार तेरा आयाम मात्र।
ईश्वर को भी जन्मा तूने,
सब हैं तेरे अभिनय के पात्र।

तू शक्ति रूप में पूजित है,
सब हैं तेरी भक्ति में मगन।
हे मातृशक्ति है तुम्हें नमन,
तुम सा ना कोई और सृजन। ♦





कविता

सोनू कुमार

लेखाकार

आज ये केवल शब्द नहीं एक विनती है;
 आज ये केवल कविता नहीं एक जिम्मेदारी है,
 बुढ़ापा जीवन का अटूट सत्य है;
 नहीं है ये कोई अभिशाप अपितु अनुभवी अभिमान है,
 इनकी सेवा चारों धामों के तीर्थ समान है,
 असली जायदाद बुजुर्गों की आँखों में झलकती खुशी है,
 इनकी दुआओं के आगे तो सारी मुश्किलें झुकी है,
 बस दे दो थोड़ा प्यार और थोड़ा सम्मान,
 कुछ पल अपने कर दो उनके नाम,
 चाहें ये सिर्फ थोड़ा स्नेह भरा ध्यान,
 हमें बनाने में ही गुजरी इनकी उम्र तमाम,
 ये वक्त हमारा भी तो आएगा,
 जो बोया हमनें वैसा ही फल आएगा। ♦





निःशब्दता से भरा अंधकार

अजय कुमार साव

कनिष्ठ अनुवादक

निःशब्दता से भरा अंधकार,
जहां एक तेज आवाज आती है
और ले जाती है मुझे
इस दुनिया से पार।
एक ऐसी दुनिया
जहां न हो झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार।
जहां पुरुषों ने सीखे हो,
शुद्ध आचरण और विचार।
एक ऐसी दुनिया
जहां सुनने तक न मिले,
गरीबों से शोषण और
औरतों से बलात्कार।



एक ऐसी दुनिया
जहां नवजवानों को न चढ़े
फेसबुक और व्हाट्सएप्प का बुखार।
लेकिन फिर याद आया,
क्या ऐसी दुनिया होगी?
असंभव है यार!
क्योंकि आधुनिक युग में,
कोई न किसी से कम
सभी एक से बढ़कर
एक-दो-तीन और चार।
इसीलिए मैं लौट आया
अपनी इसी पुरानी दुनिया में
और मुझे फिर दिखाई पड़ा वही
निःशब्दता से भरा अंधकार। ♦



बेटी की विदाई ससुराल को, दुनिया का दस्तूर है

वीणापाणी महान्ती

वरिष्ठ लेखाकार

माँ एक बेटी की पहली सबसे अच्छी दोस्त होती है और हर अवसर पर उनके जीवन में सबसे सच्ची और सबसे वफादार साथी भी होती है। एक माँ और बेटी के बीच का प्यार सबसे पवित्र और गहरा होता है। एक माँ अपनी बेटी को लगभग सभी से बेहतर समझती है क्योंकि वह उस समय से उसके साथ है जब बेटी उसके गर्भ में थी। माँ अपनी बेटी की सलामती के लिए इतना कुछ करती है कि बेटी की खुशी ही माँ की खुशी बन जाती है। ऐसी है माँ के प्यार की निःस्वार्थता। इसीलिए घर से बेटी की विदाई पर आज मुझे क्या अनुभव हुआ, मैं व्यक्त करती हूँ।

दुनिया का दस्तूर है बेटी की विदाई। इसीलिए तुझे घर से विदा करने के लिए हम मजबूर हैं पर तुझे विदाई करते समय हम अपने आंसुओं को रोक न सके। तू थी मेरे आँगन की परी और हमेशा रहेगी। फिर भी यह समाज की कड़वी सच्चाई है कि अब तुझे अपने पति का आँगन सजाना है। तू क्या जाने कि हमने क्या खोया? हमने तुझे दिल पर पत्थर रखकर विदा किया। ईश्वर ने हमें तेरा कन्यादान करने का सौभाग्य दिया। हमें कोटी जन्म का पुण्य मिला। अब तेरी याद हमें सताती है फिर भी हम इस संतोष में जीवन बीता रहे हैं कि ससुराल में एक और घर बसाने में तू जुटी है। तेरे बिना घर आज सूना-सूना है। तेरे लिए तेरे पिता और मेरे दिल का द्वार हमेशा खुला हुआ है। हमारे घर में तेरी जगह कोई कभी नहीं ले सकेगा। तेरे जाने से हमने क्या खोया, ये केवल हम ही जानते हैं।

अब से हमारी बच्ची के आसपास न होने की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह रहने के लिए एक खामोश और नीरस जगह होगी पर हमें उसकी आदत डालनी होगी। काश

जितनी बार संभव हो तू हमसे मिलने आती। माँ बाप के रूप में अपनी बेटी को नये जीवन की शुरुआत करने के लिए हम तुझे नये घर में भेज रहे हैं। वहीं बदले में इतने सालों तक हमारी देखभाल करने के लिए बेटी तुझे धन्यवाद कहते हैं।

एक माता पिता के लिए अपने नन्हें-मुन्ने को बड़े होते और जीवन के अगले पड़ाव में कदम रखने के लिए तैयार देखने से बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि तू अपने आप पर उतना ही विश्वास करती है जितना मैं तेरे ऊपर विश्वास करती हूँ। हो सकता है हम हमेशा आँखों से आँखें मिलाकर न मिले लेकिन हम हमेशा दिल से जुड़े रहेंगे। एक माँ का दिल एक गहरी खाई के समान है जिसके तल में हमेशा क्षमा मिलेगी।

बड़े होने के दौरान हमने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। जिस तरह तू बड़ों का सम्मान करती है, हर चीज में अच्छाई ढूँढती है और सभी के साथ समान व्यवहार करती है इससे तुझे नये परिवार में बहुत आसानी होगी। तू अपने पति की बहुत अच्छी पत्नी और अपने ससुराल की एक अच्छी बहू बनेगी। तू शायद अब ये नहीं जानती कि तेरे पिता और मैं हमेशा तेरे मार्गदर्शन और समर्थन के लिए मौजूद रहेंगे। तुझे हमने एक मजबूत सोच के साथ आत्मविश्वासी और व्यावहारिक व्यक्ति बनाया है। तू बचना नहीं बल्कि समाधान खोजना जानती है। यदि जीवन तुझे कठिन समय देता है तो तू सही समाधान ढूँढ लेगी और हम हमेशा तेरे पीछे सही रास्ते और मार्गदर्शन के लिए रहेंगे। हमारे घर में तेरी जगह कोई कभी नहीं ले सकेगा। इस भावना के साथ मैं तेरे उज्जल भविष्य हेतु कामना करती हूँ। ♦



पहलू प्रेम के

दीपक यादव

सहायक लेखा अधिकारी

इंसान और पशु में कुछ अंतर है जो इंसान को सिर्फ एक खानाबदोश से कहीं ज्यादा कुछ बताते हैं। ये अंतर हैं- उसके हृदय के एहसास और संवेदनाओं का, एहसास सुख-दुख का, आशा निराशा का, महत्वाकांक्षा का, ईर्ष्या का और प्रेम का।

प्रेम सिर्फ वो नहीं जो फिल्मों में दिखाया जाता है, प्रेम के और भी बहुत से पहलू हैं। जैसे प्रेमी-प्रेमिका का प्रेम, माँ बच्चे का प्रेम, लक्ष्य से प्रेम, मित्र-मित्र से प्रेम, भक्त का भगवान से प्रेम इत्यादि।

“किसको किससे किस तरह का प्रेम होगा, यह उसके मानसिक स्तर पर निर्भर करता है।”

आज के समय में प्रेम की पहचान विकृत हो गई है। इसे संबंध (रिलेशनशिप), बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इत्यादि का नाम देकर इस शब्द की पवित्रता को मलिन किया जा रहा है। मगर आज मैं एक ऐसे प्रेम की बात करूंगा जो पवित्र है। लगभग सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्रेम अवश्य होता है या कम से कम उसका एहसास तो जरूर होता है। मगर समाज और व्यवहारिकता के आगे अधिकतर लोग इस प्रेम के पौधे को मुझने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ विरले ऐसे भी होते हैं जो तूफानों से लड़कर भी अपने प्रेम को हासिल करते हैं और एक सुकून भरा जीवन जीते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सुकून हर किसी के नसीब में नहीं होता। मैं फिर दोहराता हूँ.....

“किसको किससे किस तरह का प्रेम होगा, यह उसके मानसिक स्तर पर निर्भर करता है।”

बेशक! वस्ल की राहत के सिवा भी राहतें और भी हैं, और मैं आपको एक ऐसी ही राहत के बारे में इस सच्ची कहानी के माध्यम से परिचित कराना चाहता हूँ। यह एक सच्ची कहानी पर आधारित है।

चाचा जी बोले- “तुम परेशान मत हो, हम तुमको इलाहाबाद भेज कर पढ़ाएंगे। वहीं कमरा दिलवा देंगे; वहीं रहकर पढ़ना। बहुत लड़के हैं यहाँ के जो अल्लापुर, मयूराबाद, कटरा या बघाड़ा में रहकर पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत खाना बनाना जल्दी सीख लो। पापा की बात का बुरा मत मानो, वो नहीं पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे। एक हाई स्कूल की परीक्षा जीवन में हार जीत को तय नहीं करती। तुम चिंता मत करो।”

अमृत के कोमल मन पर आज पहली बार बहुत आघात पहुंचा था, उसे एहसास हुआ कि एक परीक्षा रातों-रात जीवन को उलट-पुलट कर रख देती है। वह इस कदर अपने पिता की नज़रों में गिर जाएगा उसे पता नहीं था। कैसे एक परीक्षा परिणाम जीवन में भविष्य का निर्धारण कर सकता है। जो कल बराबर में आँख नहीं मिला पाते थे वो आज कटाक्ष कर रहे हैं। “बन गए डॉक्टर इंजीनियर” सोचने लगा, मैं तो शुरू से ही होनहार था, बस कुछ दोस्तों की संगत में पड़कर थोड़ा पथ-विचलित हो गया था। अब सुधर जाऊंगा, अगली बार खूब पढ़ूंगा और पिताजी का सर गर्व से ऊंचा करूंगा। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जो हुआ वह अमृत का जीवन बदल देने वाला और उसे उसकी जन्मस्थली से दूर एक दूसरे शहर में ले जाने वाला था।

घर के तनाव भरे माहौल से दूर माँ ने उसे दोस्तों से मिलने भेज दिया, उसका मन भी हल्का हो जाएगा और पिता जी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा।

शाम को घर आकर जब अमृत अपने कमरे में गया, तो भौचक्का देखता रह गया, आँखों से आँसुओं की धार बह निकली, चीखने की प्रयास असफल, मुँह से आवाज ही न निकल पाई। अपने सामने जमीन पर पड़ी आधी अधूरी जली हुई किताबों को देख के वो खड़ा न रह पाया। पता चला

पिताजी ने क्रोध से सारी किताबें जला दी। अमृत भले ही इस बार फेल हो गया था, लेकिन किताबों से उसको काफी लगाव था।

“अब इसकी पढ़ाई लिखाई पर पैसा बर्बाद नहीं करूंगा।”- पिताजी ने कहा

गुप्ता जी का लड़का 1st डिविजन लाया है, ये साहब 3rd भी नहीं आ पाए, सीधे फेल। अब पढ़ाई लिखाई सब बंद जाए अपना मजदूरी करके बनाए खाए। मित्तल अंकल घर पर सांत्वना देने आ पहुंचे- “अरे भाई साहब जाने दीजिए, अगली बार कमसे कम पास तो हो ही जाएगा, भले ही डिविजन कुछ भी हो।” पिताजी के जले पर नमक छिड़क के मित्तल जी चले गए।

उधर चाचा जी ने सारा इंतजाम कर दिया, भतीजे पर भरोसा था या शायद दया आ गई हो, अब जो भी हो उन्होंने अपने खर्च पर व्यवस्था कर दी।

सुबह-सुबह ट्रेन इलाहाबाद जंक्शन पर लगने लगी, जॉनसनगंज का पुल पार हो गया था। अमृत आंखें बड़ी करके इधर-उधर देखने लगा। सोचा सब यँही तारीफ नहीं करते है। कुछ तो खास है इस शहर में। इस शहर ने देश को चार प्रधानमंत्री, सदी का महानायक, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और निराला जैसे महान रचनाकार और शांतिभूषण जैसे वकील और न जाने कितने ही बुद्धिजीवी दिए है। मैं इस महान शहर में पढ़ने आया हूँ, व्यर्थ न जाने दूंगा।

ट्रेन के झटके से उसके विचारों की ट्रेन रुकी, और चाचा भतीजा स्टेशन पर उतर गए। बाहर चौक की तरफ से तांगा किया और आनंद भवन चौराहे पर पहुंचे और फिर वहाँ से रिक्शा करके अल्लापुर, जहां थोड़ा सस्ता कमरा मिलता था, पहुंचे। कमरे पर पहुँचकर चाचा जी सो गए, पर अमृत की आँखों में नींद नहीं थी, वह अपनी जली किताबें भुला नहीं पाया था। दुनिया ने मुझे नाकाबिल समझा है, मैं सबको उचित समय पर उचित जवाब दूंगा।

यह बात उस समय की है जब नया यमुना पुल नहीं था, मोतीलाल सिर्फ REC था NIT नहीं, जब शहर में तांगा चला करता था, और आनंद भवन की ढलान पे तांगे वालों के घोड़े

अक्सर फिसल कर गिर जाया करते थे। शाम को चाचा जी के साथ बाजार जाकर स्टोव, बर्तन और बाल्टी आदि सब खरीदे गए। छोटी सी गृहस्थी बसा दी गई। अगले ही दिन अमृत का दाखिला राजकीय इन्टर कॉलेज में हो गया। चाचा जी ने वापसी की ट्रेन भी पकड़ ली। अमृत ने वहाँ मन लगाकर पढ़ाई की और हाई स्कूल तथा इन्टर की परीक्षाएं 2nd डिविजन से पास कर ली। आगे की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई जिसे “ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट” भी कहा जाता है। अमृत ने B.A. तथा M.A की पढ़ाई भी कर ली और आगे NET करके प्रोफेसर बनने की उसकी बहुत इच्छा थी, मगर घर वालों और मुख्य रूप से चाचाजी और पिताजी के बारे में सोचकर अमृत ने अपनी राह बदल दी। घरवाले सोचते थे भैया इलाहाबाद से बड़ा साहब बनकर ही लौटेंगे। प्रोफेसर “बड़ा साहब” नहीं होता, ये तो सबको पता था। माहौल तो वहाँ केवल IAS और PCS देने का ही था। उससे नीचे की नौकरी की परीक्षा देना अपने मानसिक कुशाग्रता का अपमान माना जाता था। मगर अब अमृत 25 वर्ष का होने जा रहा था, घर से बार-बार पैसे मांगना उसको अच्छा नहीं लगता था। अमृत ने भीड़ से अलग जाकर लोअर पी.सी.एस की परीक्षा दी और पहली बार में ही उत्तीर्ण कर ली। पद था “आबकारी निरीक्षक”, स्थान था “आबकारी आयुक्त कार्यालय इलाहाबाद, मम्फोर्डगंज।” अमृत को नौकरी से ज्यादा खुशी इलाहाबाद में रहने की थी क्योंकि इलाहाबाद ही उसकी कर्मभूमि थी।

खबर घर पहुंची, हर तरफ खुशी की लहर सी दौड़ गई। पिताजी की आखिरी साँसे लेती हुई आस अब दम भर सांस ले रही थी। पिताजी मिठाई लेकर तुरंत मित्तल जी के घर गए, “चलिए ठीक-ठाक नौकरी पा गया लड़का” प्रतीक तो व्यस्त रहता है L&T में इंजीनियर पर काफी बोझ है न, खैर मैं उसे भी बता दूंगा। पिताजी वो दो शब्द - “ठीक-ठाक” भूल नहीं पा रहे थे। घर की महिलाओं ने आखिरकार वो बात छेड़ ही दी जो आप जानते हैं; अमृत ने साफ मना कर दिया। मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं है।

अल्लापुर का सस्ता कमरा छोड़ के कार्यालय के पास मम्फोर्डगंज में दो कमरे का घर लिया गया, थोड़ी महँगी जगह थी, पर ऑफिस एकदम नजदीक था केवल 5 मिनट का ही

रास्ता था। शांति को दो वक्त का खाना और बर्तन कपड़ा धोने के लिए रखा गया, उसे घर की एक चाभी दे दी गई और अमृत के जाने के बाद और आने से पहले सारा काम निपटा देने का सख्त निर्देश दिया गया। अमृत घर में ही रहता, न कहीं जाना न आना, न तो दोस्त और यार, शायद लोगों के शब्दों के बाण उसके हृदय में बहुत भीतर तक धस गए थे। सुबह ऑफिस, दोपहर में घर, शाम को घर फिर अगले दिन वही काम। कोई भी त्यौहार उसे जौनपुर नहीं बुला सकता था।

घर वालों को चिंता हुई तो एक दो बार इलाहाबाद आकर देखा, पड़ोसियों से पूछा तो क्या बताते भैया तो किसी से बोलते ही नहीं थे। वो लोगों को थोड़ा अजीब लगते थे, बस कभी-कभी क्रिकेट का स्कोर हम बच्चों से पूछ लिया करते थे और कुछ नहीं।

घरवाले इस बात से चिंतित थे कि कहीं कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं। शहर की किसी चालाक लड़की ने कहीं मेरे लल्ला को फंसा तो नहीं लिया है न? अगर कुछ हो तो बताइए, हम मैनेज कर लेंगे। अमृत ने कुछ नहीं कहा और सब वापस चले गए चिंता अपने साथ लेकर।

प्रेम तो था, अमृत ने सबसे और कुछ समय पहले तो खुद तक से इसे छिपा के रखा था। सोचा जिस दिन उसे पालूंगा सब जान जाएंगे। इंसान कभी-कभी कुछ हासिल करने को खुद से भी लड़ जाता है, चाहत खुद इंसान से भी अधिक बलशाली हो जाती है, उससे वो सब करा देती है, जो शायद कभी सोचा भी न गया हो।

अमृत अपने घर वालों के दबाब में शादी करके अपने उस प्रेम को धोखा नहीं देगा, जिसके लिए उसने सपने देखे थे। एक दो साल अमृत उसी उदासीन दिनचर्या का निर्वाह

करता रहा। अवकाश के दिनों में भी वह कमरे में ही रहता और शांति को भी छुट्टी दे देता। बस शाम को थोड़ी देर छत पर टहल लेता और कभी-कभी मकान मालिक की बेटी किसी किताब के बारे में पूछती तो उसे बता देता क्योंकि अमृत अभी भी अन्य नौकरियों की परीक्षा दिया करता था। अतः वह इसके बारे में सही तरीके से बता सकता था।

यहाँ वह न जाने कहाँ व्यस्त, उधर घरवाले चिंतित। समय बीतता चला जा रहा था। इधर प्रेम गहराता जा रहा था।

रोज की तरह घर के बाहर बैठ पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, अचानक उनकी धड़कन बढ़ गई, जाकर अखबार चाचा जी को दिखाया और तुरंत मित्तल जी के घर दौड़ गए- “मित्तल जी! मित्तल जी! हाफते हुए उनसे पूछे-” यह डिप्टी कलेक्टर” का पद तो ठीक-ठाक है न”। मित्तल जी ने बहुत बधाई दी। पिताजी दौड़ते हुए चौराहे पर गए और दैनिक जागरण की 10-15 प्रतियां खरीद ली। चाचा जी की आँखें भर आईं। “भैया बड़े साहब बन ही गए।” उनकी लाज रख ली भतीजे ने। पी.सी.एस परीक्षा में टॉप की रैंक आई है, खानदान का नाम रौशन कर दिया। अमृत ने अपना प्रेम पालिया था। “जिंदगी भर का सुकून।” अगले ही दिन नीली बत्ती लगी सफेद रंग की एम्ब्रेसडर मोहल्ले में पहुंची। ड्राइवर ने कुछ पूछा, मकान मालिक खुद अमृत के कमरे में ले गए। शुरुआती बातचीत के बाद अमृत ने उन्हें अपने घर वालों का पता दिया और खुद जौनपुर रवाना हो गए।

अमृत को पहली पोस्टिंग इलाहाबाद में डिप्टी कलेक्टर के पद पर मिली और बीस वर्षों में से बारह वर्षों तक वे इलाहाबाद में ही रहें और वर्तमान में अतिरिक्त जिलाधिकारी के पद पर एक बड़े शहर में तैनात हैं। ♦





हीरा, नीला, मोती, माणिक

शांतिलता सेठी
पर्यवेक्षक

सब कहते हैं पिता-माता भगवान के रूप होते हैं। पृथ्वी पृष्ठ पर जीते-जागते चलती प्रतिमा हैं। मैं एक किन्नर (ट्रांस जेन्डर) हूँ। मैं मेरे माता पिता को क्या कहूँ? यह एक सवाल था मेरे लिए। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन मांगी थी। रोज मैं दफ्तर से काम खत्म करके रेल गाड़ी से खुर्दा रोड जाती हूँ। 25 अगस्त, 1984 की बात है। दफ्तर से लौटते वक्त पैसेंजर बोगी में भीड़ थी। मेरे सामने वाले सीट पर एक बीस-पच्चीस साल का लड़का बैठा था। समय लगभग 6:30pm होगा। उस वक्त एक अच्छी मेकअप की हुई किन्नर अपने चार साथियों को लेकर अंदर आई और मेरे बगल में बैठ गई। उनमें से एक लड़की जैसी दिखने वाली किन्नर ने मेरे सामने बैठे हुए लड़के को छेड़ना शुरू कर दिया। लड़का एकदम शर्म से मुंह छिपाकर बैठा रहा। मैंने उन चारों को 500/- रुपये देकर जाने के लिए कहा। चारों किन्नर रुपये लेकर चली गई। मैंने उस लड़के से कहा कि क्यों ऐसे मुंह छिपाकर बैठे हो? उन लोगों को तो तुम भगा सकते थे तो फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं?

उस लड़के ने कहा, "मैं जानता हूँ कि उनकी मजबूरी क्या है। मेरे पास पैसा नहीं था इसीलिए मैं चुप था। अपनी इज्जत अपनी हाथों में है।" मैं उसको देखती रह गई। अगले स्टेशन पर वह उतर गया। ऐसे ही मेरी यात्रा एक निर्दिष्ट समय पर होती थी।

अगले दिन जब मैं दफ्तर आ रही थी तो मेरे सामने वाले सीट पर जो लड़का बैठा था उससे मेरी मुलाकात हुई। बातों-बातों में मैंने उससे उसके माता-पिता का नाम और उसका पता पूछा।

उसने जवाब दिया- "मैं एक किन्नर का बेटा हूँ। मेरी माँ एक किन्नर है।"

मैंने पूछा- "तुम्हारी माँ का नाम क्या है?"

उसने कहा- "मीना।"

"तुम्हारी माँ के गाँव का नाम?"

उसने कहा- "खुर्दा।"

यह सुनने के बाद मैंने पूछा- "तुम्हारे पास उनकी कोई फोटो है क्या?"

उस लड़के के पर्स में उसकी माँ की एक फोटो थी। फोटो निकालकर उसने पहले अपने माथे से लगाया और फिर मुझे दिखाया। फोटो देखते ही मैंने झट से उसके हाथों से फोटो को ले लिया। फोटो देखते ही मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। एक-एक लम्हा मेरी आँखों के सामने आने लगा।

मीनकेतन मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हम एक ही गाँव के हैं। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उसका घर मेरे घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर था। पता नहीं जब वह बड़ी होने लगी तो उसकी आवाज बदल गई, मुंह पर मुँछें आने लगीं लेकिन वह लड़की के तरह ही बर्ताव किया करती थी। धीरे-धीरे वह लड़कों से दूर रहने लगी और मेरे साथ उसकी दोस्ती थोड़ी गहरी होती गई। जिसके कारण मेरे माता-पिता, चाचा-चाची, दादी माँ सभी मुझे डांटने लगे। उससे दोस्ती रखने के कारण मुझे परिवार से लेकर स्कूल तक सभी जगहों में डांटा जाता था। लेकिन मैंने भी मन बना लिया था कि जो भी हो मीनकेतन के साथ मैं दोस्ती बनाए रखूंगी।

हमलोगों ने दशवीं तक साथ पढ़ाई की। उसके बाद की पढ़ाई के लिए मैं अपने मामा के घर कटक चली गई। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मेरी शादी हो गई और मीनकेतन के साथ मेरी मुलाकात फिर नहीं हुई। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि उसके घरवालों ने उसे घर से निकाल दिया था।

मैंने मीना से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उस लड़के

के साथ मैं मीनकेतन के घर गई। आई.टी.आर. कॉलेज के पास वाली बस्ती में वह रहती थी। सब उसको "मीना" नाम से पुकारते थे। उसने साड़ी पहनी थी। वह बिल्कुल एक शादीशुदा औरत की तरह दिख रही थी। वह मीनकेतन से मीना बन गई थी और एक बच्चे को पोष्य पुत्र के रूप में ग्रहण की थी। उसने बेटे का नाम "श्री हरि" रखा था।

मैं उस रात मीना के यहाँ ही रुक गई थी। मीना की जिंदगी की कहानी सुनकर मेरी आँखों में आँसू आ गए। क्या करें इस रूढ़िवादी समाज की सोच कब बदलेगी? अब मीना की परिस्थिति सुधर गई है। उसने अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं माना और अपने बलबूते पर अपना नाम कमाया। आज वह किन्नर समाज के सभापति पद पर है और सभी उससे सम्मान के साथ बात करते हैं। मैंने उससे कहा- "कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना।" मीना ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहा- "तुम्हारे यादों में मैं हूँ इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं। कभी-कभार मेरे घर आती रहना। मेरे बेटे हरिशंकर की अच्छी नौकरी हो जाए और मुझे ऊपर वाला अपने पास बुला ले, इतना ही मैं चाहती हूँ।"

मैंने पूछा- "हरिशंकर को कहाँ से लाई?"

मीना ने उत्तर दिया- "मेरे घर के सामने कोई छोड़कर चल गया था।"

मैंने कहा- "तुम तो हरिशंकर की माँ बन गई लेकिन मेरी अब तक कोई औलाद नहीं है। मेरे पति लेकिन खुश हैं। वह कहा करते हैं कि आजकल जिसकी औलाद नहीं होती वही खुशनासीब होते हैं। परंतु मेरा मन नहीं मानता, तुम्हारी तरह मैं भी एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ।" ऐसी ढेर सारी बातें करके मैं अपने घर चली गई।

अगले दिन दफ्तर से घर लौटते वक्त वही चार किन्नर जिनको मैंने 500/- रुपये दिए थे मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने उनसे कहा- "आज मेरे पास उतने रुपये नहीं हैं।" चारों ने उस दिन की अपनी हरकत के लिए माफी मांगा। मैंने कहा- "ठीक है, यह पेशा तुमलोग छोड़ दो।" चारों ने बोला- "क्या काम करेंगे। हमको कोई काम नहीं दे रहा है। वे लोग बोलते हैं तुम हिजड़ा हो, जाओ ताली मार के पैसे कमाओ।" मैं बोली- "अच्छा ठीक है। आज तुम्हारा कोई काम नहीं है।

चारों में से एक दिखने में लड़की जैसी थी जिसका नाम मोती था। वह मेरे पास आ गई और बोली- "आप को देखकर मेरी माँ की याद आ जाती है। कल आपने हमें जो 500 रुपये दिए थे, उससे हमने मंदिर जाकर पूजा किया और आपकी भलाई के लिए मंत्र भी मांगा।" मैं बोली- "लग रहा है तुम सब अच्छे घराने से हो। तुम चारों का नाम क्या है?" मोती ने सबसे मेरी पहचान कारवाई और ऐसा नाम बताई जो एक बार में याद हो जाए- "हीरा, नीला, माणिक और मोती।"

हीरा से मैंने पूछा "तुम क्यों इस रास्ते पर आ गई?"

हीरा ने बोला- "मेरे माँ-पिताजी मेरी बहन की शादी से पहले मुझे बोले की तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने माता-पिता का बड़ा बेटा था। सब मुझे बहुत प्यार करते थे। उस समय मैं कक्षा आठ में पढ़ाई कर रहा था। जब मैं बारह वर्ष का था, तब मैंने अजीब सा महसूस किया। मेरे शरीर में कुछ बदलाव आने लगा। लड़कों से मैं दूर भागने लगी। लड़कियों के कपड़े पहनने का मन करता था। मैं खुद को लड़की की तरह महसूस करने लगा। यह बात मैंने अपने मामा को बताया लेकिन उन्होंने यह बात मेरे माँ-पिताजी को बता दिया। पिताजी ने मुझे बहुत डांटा और लड़के जैसे रहने के लिए बोला। तब मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। अजीब सी हरकते करने लगी। उसी समय मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ और बड़ी बहन की भी शादी होने वाली थी। मेरी वजह से उसकी शादी न टूट जाए, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और एक किन्नर के घर जाकर रहने के लिए बोले। लेकिन मैं ऐसे हालत में पहुँच गई कि आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँच गई। जब मैं रेलवे लाइन पर कूदने वाली थी तब एक औरत ने मुझे पकड़ लिया और अपने साथ मुझे अपने घर ले गई। वह घर एक किन्नर का घर था। उस दिन से मैं उनके पास रह रही हूँ। वहाँ नीला, माणिक और मोती से मुलाकात हुई। हम चारों की कहानी बचपन से बिल्कुल एक जैसी है। आप चाहें तो पूछ लीजिए। हम चारों सहेलियाँ अपने मन मुताबिक और खुशी से रह रहे हैं। हमें कोई दुख नहीं है। ऐसा कहते हुए वह रोने लगी।

मैंने उन चारों को समझाया और बोली- "कोई मजबूरी रही होगी तुम्हारे माता-पिता की शायद इसलिए ...।"

मोती ने बोला- "हमारे कोई माता-पिता नहीं है। हम हिजड़ा हैं। ताली मारकर रुपये कमाना हमारा पेशा है।"

मैंने पूछा- "मोती तुम कहां तक पढ़ी हो?"

मोती ने कहा- "10+2 किया है मैंने, आगे पढ़ने की बहुत इच्छा थी लेकिन क्या बोलूँ किसी ने मेरे साथ बात तक नहीं किया। शौचालय जाने तक की अनुमति मुझे नहीं मिली। न ही पुरुष और न ही स्त्री। घर में जीना मुश्किल हो गया था मेरा। घर में पिताजी मुझसे बात तक नहीं किया करते थे। वही समस्या, "तुमको बेटा बनकर रहना पड़ेगा।" मेरे शरीर में जो कुछ भी बदलाव आया, उसमें मेरा क्या दोष है।"

मैं चारों किन्नरों से प्यार से बात की और बोली- "मैं तुमलोगों को काम दिलाऊँगी तो क्या तुमलोग यह काम छोड़ दोगे?"

चारों ने हां में उत्तर दिया।

मैंने बोला- "आज तुमलोग घर जाओ। अपनी माँ से बात करके कल मुझे बताना कि तुमलोगों की माँ क्या चाहती है।"

मैंने घर जाकर अपने पति से बात किया। मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मुझे मोती का व्यवहार अच्छा लगा। मैंने अपने पति से बोला- "शायद इसलिए हमारी औलाद नहीं है क्योंकि उन चारों की जिंदगी हमारे साथ जुड़ने वाली थी। मेरे पति ने कहा- "तुम क्या बोल रही हो?"

तो मैंने कहा- "हाँ मैं सोच समझकर बोल रही हूँ। मैंने उन चारों बच्चों को काम देने का वादा किया है और एक बात मेरे मन में है कि हमारी तो कोई औलाद नहीं है, उन चारों को गोद लेने में आपको कोई शिकायत तो नहीं होगी?"

मेरे पति ने कहा- "मुझे क्यों शिकायत होगी। मैं तो सदा से बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ।" मैंने कहा - "मैं चारों बच्चों के एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जो उनलोगों ने मुझसे पूछा था।" मेरे पति ने कहा- "आज तुम चारों बच्चों को अपने घर बुला लो। हमें उनसे थोड़ा मिलने का मन कर रहा है।"

अपने पति की बात मानकर मैंने उन चारों बच्चों को अपने घर बुला लिया।

मेरे पति उन चारों बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए।

चूँकि मोती अच्छा खाना बनाती थी इसलिए उसे

खाना बनाने का काम दिया गया। हीरा को कार चलाने की जिम्मेदारी दे दी। नीला को घर के काम में मोती का हाथ बटाने की जिम्मेदारी दी गई और घर की देख रेख करने की जिम्मेदारी दी गई। माणिक को अपने फार्महाउस का पर्यवेक्षक बना दिया।

ऐसे एक साल तक उन चारों का काम देखकर पता चल गया कि चारों बच्चों मन के बहुत सच्चे हैं।

एक साल के अंदर ही मैं नौकरी से सेवानिवृत्त हो गई। ठीक एक साल बाद, अगले ही दिन वकील को बुलाकर हमने अपनी सारी संपत्ति हीरा, नीला, माणिक और मोती के नाम कर दिया। उसके बदले अनमोल रत्न के रूप में हीरा, मोती, माणिक और नीला जैसे बच्चे मिल गए। अब जिस सवाल का जवाब जो मैं इतने दिनों से देना चाहती थी कि दुनिया के सारे माता-पिता ऐसे नहीं है। माता-पिता भगवान का एक रूप है। चलते-फिरते देवी-देवता की प्रतिमा है। उनके आशीर्वाद के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। चारों का नाता हमसे जुड़ने वाला था इसलिए ऊपरवाले ने ऐसी लीला रचाई। फिर भी सभी माता-पिता से मेरा यह अनुरोध है कि अब किन्नरों को भी 3rd जेन्डर का दर्जा दिया गया है। कानूनी रूप से पैतृक संपत्ति या माता-पिता की अर्जित संपत्ति में उन बच्चों का भी बराबर का हक है। 3rd जेन्डर के लिए नौकरी में भी संरक्षण रखा गया है। भारत के प्रशासनिक क्षेत्रों में भी उन बच्चों ने अपनी जगह बना ली है। दूसरे बच्चों की तरह खेल हो या पढ़ाई सभी क्षेत्रों में अपनी जगह बना भी रही है। जो बच्चा जिस रूप में रहना चाहता या चाहती है रह सकता या सकती है। यदि परिवार के किसी बच्चे में 3rd जेन्डर जैसा स्वभाव दिखता भी है तो उसे स्वीकार कर डॉक्टर की सहायता से वह जिस रूप में रहना चाहता है उसे रहने में मदद करनी चाहिए। मैं देश में ऐसे बच्चों के माता-पिता को संदेश देना चाहती हूँ कि बेटा, बेटी या 3rd जेन्डर के बच्चे सभी समान है। उनमें किसी भी प्रकार का भेद भाव पैदा मत कीजिए। बेटा शादी करके बदल सकता है, बेटी शादी करके ससुराल चली जाती है लेकिन आपका 3rd जेन्डर बच्चा आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आप उन बच्चों को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। खासकर उन बच्चों को माता-पिता के प्यार की बहुत जरूरत है। ♦



मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

रवि कुमार

सहायक लेखा अधिकारी

धर्म को सामान्यतः अंग्रेजी शब्द "religion" के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जिसे मजहब, मत, पंथ आदि के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है। धर्म की व्याख्या करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि धैर्य, श्रम, दान, इंद्रिय-निग्रह, आत्मज्ञान, सत्य और अक्रोध धर्म के लक्षण है। वस्तुतः जीवन में हमें जो धारण करना चाहिए, वही धर्म है। नैतिक मूल्यों का आचरण ही धर्म है। धर्म वह पवित्र यज्ञ है, जिससे जीवन की चेतना का शुद्धिकरण होता है। यह वह तत्व है, जिससे मनुष्य अपने मानवीय गुणों का विकास करता है। यह सार्वभौमिक चेतना का संकल्प है।

प्रख्यात दार्शनिक एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने धर्म की भारतीय अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि- "जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा जिनके द्वारा हमारे सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, वे सब धर्म ही है।" धर्म जीवन का सत्य है और हमारी प्रकृति पाश्चात्य चिंतन में भी दार्शनिक कवि गेटे का मानना है कि- "सच्चा धर्म हमें आश्रितों का सम्मान करना सिखाता है और मानवता, निर्धनता, मुसीबत, पीड़ा एवं मृत्यु को ईश्वरीय देन मानता है।"

इन सभी विचारों में हम देखते हैं कि अवधारणा अलौकिक विश्वासों तथा अप्राकृतिक शक्तियों से संबंध नहीं है। धर्म के अंतर्गत आत्मा, परमात्मा या अप्राकृतिक शक्ति की चर्चा नहीं की जाती है। अलौकिक शक्ति की जगह पर प्राकृतिक व मानव हितैषी आचरण एवं शक्ति की चर्चा की जाती है।

अपने वास्तविक अर्थ में भी धर्म शब्द ब्रह्म का पर्याय है। 'धारयते इति धर्मः' अर्थात् जिसने समग्र ब्रह्मांड को धारण कर रखा है अथवा धारण करते हुए जो सर्वत्र व्याप्त है, वह धर्म है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है- धर्मभावना, यही धर्मभावना हमें विभिन्न संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठाकर मनुष्यता का पाठ पढ़ाती है। धर्म के वास्तविक मूल्यों के बिना मनुष्य अपनी मनुष्यता खोकर पशुता की ओर बढ़ने लगता है।

वास्तव में, धर्म का संबंध मानव-मात्र की भलाई या परोपकार से होता है, लेकिन मानव समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने हित के लिए धर्म के दायरे को संकीर्ण बना दिया है। इसके कारण जन सामान्य को भोली मानसिकता को दूषित करने का

जिम्मेदार भी उन्हीं स्वार्थी लोगों को माना जाता है। समाज के अनेक खंडों में विभाजित होने का कारण भी इन्हीं चंद स्वार्थी



व संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को माना जा सकता है। धर्म के साथ अनेक रूढ़ियों, कुरीतियों एवं पाखंडी क्रियाकलापों को संबंधित करके समाज के अंदर कई विभाजन कर दिए गए हैं। मनुष्यता के वास्तविक लक्ष्य को भूलकर निहित स्वार्थी तत्वों ने अपने लाभ के लिए मानव-मानव के बीच भेदभाव के गहरे बीज बो दिए हैं, जबकि कोई भी धर्म कभी भी मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद करना नहीं सिखाता। किसी भी धर्म का लक्ष्य मानव-मात्र की सेवा करना, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना एवं मानव-मानव को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखना होता है। किसी भी धर्म का अंतिम उद्देश्य मानवता के संदेश का प्रसार करना होता है। संप्रदाय विशेष के नाम पर विचारों, आदर्शों आदि की स्थापना करना मानव समुदाय की संकीर्ण भावना का सूचक है।

भारतीय समाज विविधताओं में एकता वाला समाज है। समय-समय पर कई विद्वानों, संतों एवं समाज सुधारकों ने समय के साथ इन विविधताओं को अधिक महत्व न देने पर गंभीरता से अपनी राय दी है। इस संदर्भ में महान कवि कबीर दास ने अपनी फटकार में न तो पाखंडी पंडितों को छोड़ा और न ही अंधविश्वासी मौलवियों को। वे कर्मकांड के सख्त विरोधी थे। उन्होंने तो एक ओर केवल दिखावा करने वाले नमाजियों का विरोध किया, तो दूसरी ओर माला फेरने वाले पंडितों को भी खरी-खोटी सुनाई। आधुनिक समय में भी हमने अपने संविधान में केवल मानव-मात्र को ही महत्व दिया। भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग किसी

भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी राजनैतिक गतिविधियों में सांप्रदायिकता, जातीयता, क्षेत्रीयता जैसी भावनाएं गहराई तक प्रवेश कर चुकी हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का भी उल्लेख है अर्थात् राज्य का कोई धर्म नहीं है। राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा हेतु धर्म निरपेक्षता अनिवार्य शर्त है। राष्ट्रीयता की भावना किसी भी धर्म के विरुद्ध न होकर धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध है।

वास्तव में धर्म व राजनीति का एक गहरा संबंध है। प्रजा की रक्षा करना ही शासक का कर्तव्य है, यह चेतना धर्म से ही आती है। धर्म के बिना राजनीति निर्दयी बन जाती है। जिस प्रकार धर्म सुख का मूल है, उसी प्रकार सहानुभूति धर्म का मूल है। इसलिए जब राजनीति को धर्म से दूर रखा जाता है, तब सहानुभूति की भावना समाप्त हो जाती है।

इकबाल की यह पंक्तियाँ- “मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी है हम वतन है, हिंदोस्तान हमारा” - में एक ओर एकता का संदेश है, तो दूसरी ओर मानवीयता का। एक ओर राष्ट्रीयता है तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीयता। इसमें कोई शक नहीं है ये पंक्तियाँ जितनी तार्किक लिखे जाने के समय में थी उतनी ही आज भी है, बस केवल आवश्यकता है कि धर्म की गलत परिभाषा जो कुछ स्वार्थी संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों ने फैलाई है उसे हटाकर मानवता के सुदृढ़ भविष्य के लिए एक बेहतर निस्वार्थ बंधुत्व वाले धर्म की भावना प्रत्येक मानव के मूल्यों में निहित की जाए। ♦





महिला चेतना

रूपा कुमारी

वरिष्ठ अनुवादक

‘महिला चेतना’ अर्थात् महिलाओं को अपने अधिकारों एवं अपने अस्तित्व-रक्षा के प्रति सचेत व जागरूक होना। इसका वास्तविक निहितार्थ इसके शाब्दिक अर्थ से कहीं ज्यादा व्यापक है जिसे समझने से पूर्व ‘महिला सशक्तिकरण’ को समझना अत्यंत आवश्यक है। यूं तो आज के इस डिजीटल युग में ‘महिला सशक्तिकरण’ काफी प्रचलित शब्द बन चुका है। आजकल हर कोई महिला सशक्तिकरण की बातें करते हुए और महिला सशक्तिकरण की मसाल उठाए महिलाओं के हित में बड़े-बड़े कसीदे पढ़ते हुए देखा जाता है। परन्तु इसका वास्तविक अर्थ शायद ही कोई बता पाए। अधिकतर लोग महिला सशक्तिकरण के केवल आदर्शवादी पहलू को ही अपनाते हैं जबकि अपने निजी जीवन में इसे आत्मसात् करने वालों की कमी आज भी है। ‘महिला सशक्तिकरण’ का सीधा-साधा अर्थ है - महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह शिक्षा हो, प्रशासन हो, ज्ञान-विज्ञान, मनोरंजन, खेल-कूद अथवा समाज सेवा हो, में पुरुषों के बराबर भागीदारी देते हुए सशक्त बनाना है। देखा जाए तो ‘महिला सशक्तिकरण’ उस क्रांति की पुकार है जो पुत्र-पुत्री के भेद-भाव को मिटाकर एक लड़की को जीने व शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देने की मांग करता है; जो न केवल परिवार बल्कि समाज एवं राष्ट्र में उसकी समान भागीदारी सुनिश्चित करता है; जो उसे अपने जीवन साथी के चयन से लेकर प्रत्येक निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है; जो उसे ‘अबला नारी’ के पारंपरिक एवं संकीर्ण सोच के सांचे से निकालकर राष्ट्र-निर्माण हेतु शासन की बागडोर संभालने वाली एक सशक्त महिला के रूप में स्वीकार करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या महिलाएं केवल अधिकार दे देने मात्र से सशक्त हो सकती हैं? इसका उत्तर होगा- ‘नहीं’। ‘महिला सशक्तिकरण’ के साथ-साथ ‘महिला चेतना’ उतना ही आवश्यक है जितना किसी भी

कोडीकृत डिजीटल उपकरण को संचालित करने हेतु उसके पासवर्ड की जानकारी होना। ‘महिला चेतना’ महिलाओं को उनके उत्थान, आत्मरक्षा एवं विकास की दिशा में जागरूक करना है जिससे उन्हें इस पुरुष-प्रधान समाज में न केवल अपने अस्तित्व व अधिकारों का भान हो सके अपितु वह उन अधिकारों का समुचित प्रयोग कर समाज, देश व राष्ट्र को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

भारत में 2011 की जनगणना में महिलाओं के घटते लिंगानुपात, कन्या भ्रूण-हत्या, बाल-हत्या और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर समय-समय पर सरकार द्वारा उसे सशक्त बनाने हेतु कई कानूनों तथा युगांतकारी अभियानों की शुरूआत की गई। इनमें संसद द्वारा पारित समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, दहेज रोक अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971, बाल-विवाह रोकथाम एक्ट 2006, लिंग परीक्षण एवं प्रसव-पूर्व तकनीक अधिनियम, 1994, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोक, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013, सुकन्या समृद्धि योजना, ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, उज्ज्वला योजना, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन (स्टेप) स्कीम, महिला शक्ति केंद्र, पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण आदि शामिल हैं। इन सारे प्रावधानों एवं अभियानों के बावजूद भी दुष्कर्म, कन्या भ्रूण-हत्या, बाल-हत्या, दहेज के लिए की गई हत्याओं तथा हिंसा की खबरों से भरे सामाचार पत्र इसकी विफलता की कहानी बयां करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न-चिह्न ज्यों का त्यों बना रहता है।

इस लेख के माध्यम से महिलाओं के हितों को

ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा लागू कुछ महत्वपूर्ण अभियानों एवं प्रावधानों के बारे में जानकारी देने की एक छोटी सी कोशिश की गई है जिसे हर कामकाजी अथवा गृहिणी महिला को जानना अत्यावश्यक है:

1. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Benefit Act, 2013

कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की यौन हिंसा और प्रताड़ना से स्त्रियों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए 'कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' कानून बनाया गया है। 3 सितंबर, 2012 को यह लोकसभा से और 26 फरवरी, 2013 को राज्यासभा से पारित हुआ और 9 दिसंबर, 2013 से यह कानून प्रभाव में आया। इस कानून के तहत ऐसे कोई भी सरकारी या गैरसरकारी संगठन या संस्थान, जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं और जहां महिलाएं काम करती हैं, वहां अंतरिक शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य है।

इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित कृत्य या व्यवहार "यौन उत्पीड़न" की श्रेणी में आता है:

- इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना।
- शारीरिक रिश्ता/यौन संबंध बनाने की मांग करना। उदारहणत् विभाग का प्रमुख अथवा वरिष्ठ अधिकारी किसी अधीनस्थ कार्मिक को पदोन्नति का प्रलोभन देकर शारीरिक रिश्ता/यौन संबंध बनाने की मांग करता है तो यह यौन उत्पीड़न है।
- यौन स्वभाव की (अश्लील) बातें करना।
- अश्लील तस्वीरें, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना जैसे यदि आपका सहकर्मी आपकी इच्छा के खिलाफ आपको अश्लील वीडियो भेजता है तो यह यौन उत्पीड़न है।
- कोई यौन प्रकृति के अन्य कृत्य जो बातचीत द्वारा, लिख कर या छू कर किए गए हो।

सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कार्यस्थल यौन उत्पीड़न के एक केस के बाद उस मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए यह गाइडलाइंस जारी की थीं। वह केस दरअसल भंवरी देवी का था जो एक एनजीओ में काम करती थीं। काम के दौरान उनके साथ रेप हुआ था। कानून के तहत ऑफिस में काम कर रही महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करना संस्थान की जिम्मेदारी है और यदि उनके साथ कोई भी अनुचित व्यवहार होता है तो वो शिकायत कर सकती हैं।

2. समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) **Equal Remuneration Act, 1976**

यह विशेष अधिनियम पुरूष और महिला कामगारों के लिए बिना कोई भेदभाव किए समान पारिश्रमिक देने की सुविधा देता है। यह अधिनियम कहता है कि किसी समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए पुरूषों और महिलाओं दोनों को समान पारिश्रमिक का भुगतान प्रदान किया जाएगा। साथ ही यह अधिनियम भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है।

इसके अतिरिक्त सूर्योदय से पहले (सुबह 6.00 बजे से पहले) एवं सूर्यास्त के बाद (शाम 7.00 बजे के बाद) महिलाओं को काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और भले ही किसी महिला को ऑवरटाइम दिया जाए, यदि वह ऑफिस में शाम 7.00 बजे के बाद न रुकना चाहे, तो उसे रुकने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता।

3. घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव अधिनियम, 2005

Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

26 अक्टूबर, 2006 को 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव अधिनियम, 2005' कानून भारत में लागू हुआ। इसका उद्देश्य, शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियों के साथ हो रहे अन्याय एवं प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने के अधिकार सहित उनकी रक्षा करना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से लेकर यूएन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बार-बार हमें आगाह कर रहे

हैं कि भारत में 70 फीसदी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं और सिर्फ 10 फीसदी महिलाएं उस हिंसा की शिकायत करती हैं। भारत में कोई ऐसा कानून भी नहीं जो घरों के भीतर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। इसलिए 2006 में ये कानून आया। इस कानून के जरूरी पहलुओं में से एक ये भी है कि जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति पीड़ित है, वही शिकायत दर्ज करे। यदि किसी को आभास हो रहा है कि कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है तो वो भी पुलिस के पास शिकायत कर सकता है। इसके बाद पुलिस का कानूनी दायित्व है कि वह शिकायत पर कार्यवाही करें / एक्शन ले। इसके लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर भी पीड़ित महिला शिकायत तुरंत दर्ज करा सकती है।

4. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005

Hindu Succession Act, 2005

आजाद भारत में महिलाओं के लिए लाया गया सबसे ऐतिहासिक और सबसे जरूरी कानून है 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005'। हालांकि, ऐसा कानून 1956 के नाम से पहले भी था लेकिन उसमें लड़के और लड़की के लिए भेदभावपूर्ण नियम थे। उस कानून में लड़कियों का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। पिता की सारी संपत्ति लड़कों को मिलती थी। 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया और 9 सितंबर, 2005 में यह लागू हुआ। नए कानून में पुराने लैंगिक भेदभाव को खत्म किया गया और बड़ा फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने पैतृक संपत्ति में भी लड़कियों को बराबर का अधिकार देने की घोषणा की। समान संपत्ति का अधिकार अब तक सिर्फ पिता की अर्जित की हुई संपत्ति पर ही लागू होता था और पैतृक संपत्ति अब भी स्वतः ही बेटों की होती थी। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक पैतृक संपत्ति में भी बेटे और बेटी को बराबर का अधिकार सुनिश्चित किया गया।

5. दहेज निषेध अधिनियम, 1961

Dowry Prohibition Act, 1961

दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ। इस कानून के मुताबिक भारत में दहेज लेना या देना, दोनों ही कानूनन अपराध है। इसके लिए आजीवन कारवास तक की

सजा हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए दहेज के मामलों पर लागू होती है। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 दहेज की प्रताड़ना झेल रही हजारों स्त्रियों के लिए न्याय की उम्मीद बना।

6. मातृत्व लाभ (संशोधन) बिल, 2017

Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2017

यह कानून हर कामकाजी महिला के लिए छह महीने के मातृत्व अवकाश को सुनिश्चित करता है। यह उसके नौकरी के अधिकार और मातृत्व अवकाश के दौरान पूर्ण वेतन के भुगतान को सुनिश्चित करता है। यह कानून हर उस सरकारी और गैर-सरकारी कंपनी पर लागू होता है, जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। मातृत्व लाभ (संशोधन) बिल 11 अगस्त, 2016 को राज्य सभा और 9 मार्च, 2017 को लोकसभा में पास हुआ। 27 मार्च, 2017 को यह कानून बना। हालांकि मातृत्व लाभ एक्ट 1961 में ही लागू हुआ था, लेकिन तब अवकाश सिर्फ तीन महीने का हुआ करता था। 2017 में इसे बढ़ाकर छह महीने कर दिया गया।

7. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971

The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (MTPC)

1972 में, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट लागू हुआ और 1975 और 2002 में इसका संशोधन किया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य गैरकानूनी और जबरन तरीके से गर्भपात और इसके परिणामस्वरूप होने वाली गर्भवती महिलाओं की मृत्यु-दर को कम करके महिलाओं की सुरक्षा करना है। भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात कराना अपराध की श्रेणी में आता है लेकिन गर्भ की वजह से यदि किसी भी महिला के स्वास्थ्य को खतरा हो, तो वह अबॉर्शन (गर्भपात) करा सकती है। ऐसी स्थिति में उसके गर्भपात को वैध माना जाएगा। इसके लिए उसे अपने पति या ससुरालवालों के सहमति की जरूरत नहीं है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) के तहत ये अधिकार दिया गया है कि अगर प्रेग्नेंसी 24 सप्ताह से कम है तो एक महिला अपनी प्रेग्नेंसी को किसी भी समय खत्म

कर सकती है। विशिष्ट मामलों में एक महिला अपने प्रेग्नेंसी को 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्ट करा सकती है।

8. गर्भधारण पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान-तकनीक (लिंग परीक्षण प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व लिंग-निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक 'पीएनडीटी' एक्ट 1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले दम्पति या करने वाले डाक्टर और लैब कर्मियों को तीन से पांच साल की सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने की सजा का प्रावधान है। प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन करने में संलग्न प्रत्येक आनुवांशिक परामर्श केंद्र, आनुवांशिक प्रयोगशाला या आनुवांशिक क्लिनिक जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ), जो गर्भाधान से पहले और बाद में लिंग चयन की संभावनाओं की जाँच में समर्थ हैं, पीसीपीएनडीटी अधिनियम के दायरे में आते हैं और प्रतिबंधित हैं।

9. बाल-विवाह रोकथाम अधिनियम 2006

The Prohibition of Child Marriage Act, 2006

आमतौर पर हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों को बहुत कम उम्र में कम उम्र के लड़के और कभी-कभी अर्ध-उम्र के पुरुष से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह अधिनियम बाल-विवाह को रोकने में मदद करता है। अगर दूल्हा 21 वर्ष से कम उम्र का है और दुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम है तो यह शादी बाल-विवाह अधिनियम के तहत आएगा। कम उम्र की लड़कियों को शादी करने के लिए जोर डालने वाले माता-पिता इस कानून के तहत सजा के पात्र हैं।

10. महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1986

Indecent Representation of Women Act, 1986

यह अधिनियम महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से या टीवी, प्रकाशनों, लेखन, पेंटिंग, आंकड़े या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन अथवा प्रचार के किसी अन्य माध्यम से महिलाओं की गलत छवि दिखाने को रोकने में मदद करता है।

11. अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956

Immoral Prostitution (Prevention) Act, 1956

अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के द्वारा महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण के लिए उनकी तस्करी की रोकथाम के प्रावधान अनुबंधित हैं। दूसरे शब्दों में यह अधिनियम वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की रोकथाम के लिए बनाया गया है। मासूम बच्चियों के साथ बढ़ते बलात्कार के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बच्चियों से सेक्स करवाने या उन्हें वेश्यावृत्ति में ढकेलने वाले लोगों के खिलाफ बलात्कार के आरोप में मुकदमें दर्ज होंगे क्योंकि चाइल्ड प्रोसेटीट्यूशन बलात्कार के बराबर अपराध है।

12. हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956

Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956

हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ एवं वयस्क विवाहित या अविवाहित महिला पुत्र या पुत्री को गोद लेने का सामर्थ्य रखती है। विवाहित महिला के पुत्र या पुत्री को गोद लेने के संदर्भ में पति की सहमति अनिवार्य है।

13. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (स्टेप) योजना

Support to Training and Employment Programme for Women (STEP) Scheme

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (स्टेप) योजना 1986-87 से 'केंद्रीय क्षेत्र योजना' के रूप में 'महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (स्टेप) योजना' के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। स्टेप योजना

का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं सहित पूरे देश में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को दक्षता और कौशल प्रदान करते हुए स्वरोजगार/उद्यमी बनने में सक्षम बनाना है। योजना के तहत सहायता अनुदान गैर-सरकारी संगठनों सहित संस्थानों/संगठनों को दिया जाता है। इस योजना के तहत सहायता कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, ज़री आदि, हस्तशिल्प, कंप्यूटर और आईटी क्षेत्र के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स जैसे स्पोकन इंग्लिश, जेम्स एंड ज्वेलरी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी आदि सेवाओं के लिए भी रोजगार और उद्यमिता से संबंधित कौशल प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

14. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990

National Commission for Women Act, 1990

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक लीगल बॉडी के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया। सबसे पहले आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। इस आयोग का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं के कल्याण पर ध्यान देना, संविधान और कानूनों की मदद से महिलाओं के

अधिकारों की रक्षा करना, वर्तमान समय में महिलाओं को होने वाली समस्याओं से निपटना और इन समस्याओं के लिए समाधान प्रदान करना, समय-समय पर भारतीय महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना और महिला के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित फंडिंग एवं लड़ाई के मामले को देखना है।

(ऊपर दी गई डेटा/सूचना/जानकारी का स्रोत इंटरनेट है। यद्यपि इस लेख के माध्यम से सही एवं अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, तथापि उक्त डेटा के अद्यतनीकरण में किसी प्रकार की त्रुटि/चूक के लिए इंटरनेट की सहायता ली जा सकती है। इसमें लेखक के निजी विचार अभिप्रेत नहीं हैं।)

महिलाओं को सरकार एवं संविधान द्वारा दिए गए समस्त अधिकारों, लागू किए गए अभियानों और कानूनों की पूरी जानकारी होने के साथ ही साथ शिक्षित, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ और निर्भीक होकर तथ्यों के साथ अपनी बात रखने वाली एक सशक्त आत्मनिर्भर अभिमानी नहीं अपितु स्वाभिमानी नारी बनना होगा तभी महिलाएं सही अर्थों में सशक्त हो सकती हैं। केवल कानूनी अधिकार दे देने और उनके हितों से संबंधित अभियानों को लागू कर देने मात्र से



महिलाएं सशक्त नहीं बन सकती है बल्कि लोगों की महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन लाने की भी आवश्यकता है। कई बार देखा जाता है कि महिलाएं शिकायत करने के बाद निर्दोष होते हुए भी लोगों की आलोचनाएं और मानसिक प्रताड़ना झेलती है। सच्ची शिकायत करने पर भी उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है। इसका एक कारण उल्लिखित कानूनों का कुछ महिलाओं द्वारा गलत प्रयोग करके झूठी शिकायत दर्ज कराया जाना है। अतः महिलाओं द्वारा उक्त कानूनों को महिलाओं के हित में समुचित विवेक से अपने अधिकारों की प्रतिरक्षा हेतु ही उपयोग में लाया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः 'महिला चेतना' के साथ ही साथ समाज को इस तथ्य से जागरूक किया जाना जरूरी होगा कि किसी परिवार, समाज, देश अथवा राष्ट्र का विकास महिलाओं के उत्थान में ही निहित होता है। महिलाएं देश की 'आधी आबादी' हैं जो महफूज रहेंगी तो देश के विकास को भी निसंदेह गति मिलेगी। महिलाओं के प्रति हिंसा, दुष्कर्म,

उत्पीड़न की रोक से संबंधित कानूनों के सख्ती से अनुपालन के लिए सर्वप्रथम महिलाओं को उच्च-शिक्षा के द्वारा बौद्धिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीक की शिक्षा, ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यशालाओं के माध्यम से मानसिक प्रेरणा देना, आत्म-रक्षा के दाव-पेंच के अनिवार्य ज्ञान आदि से सुसज्जित करना होगा ताकि न केवल वे अपने अधिकारों को पहचाने बल्कि उन अधिकारों का हनन करने वालों को निडर होकर दंडित करने और स्वयं की रक्षा होशियारी से करने में सक्षम हो सके। इस संदर्भ में महात्मा गाँधी के निम्न वचन महिलाओं को 'अबला नारी' नहीं अपितु अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक सजग एवं सचेत आधुनिक नारी के रूप आलोचित करने वाले हैं:-

“आज बालिकाओं को पशुता के विरुद्ध लड़ने वाली वीरांगनाएं, समाज की अग्रदुतियाँ और संसार को हिलाने वाली देवियाँ बनाना है।” ♦





समय की लय

प्रिय चंदन कुमार

सहायक लेखा अधिकारी

समय तुम कभी रूकते क्यों नहीं?
झुकाते हो सबको, पर स्वयं झुकते क्यों नहीं?
सुख के दिनों में तुम्हारी गति बड़ी तेज हो जाती है।
दुख में वही गति मानो रुक सी जाती है।
समय तुम रूकते क्यों नहीं?
झुकाते हो सबको, पर स्वयं झुकते क्यों नहीं?



याद है मुझको वह बचपन निर्विकार,
आनंद, उल्लास और जिज्ञासा जब ले रहा था आकार।
सोचता था जीवन गुड्डे-गुड़ियों का खेल था तब,
पर, हुआ किशोर तो हठात् बदल गया सब !
किताबों के बोझ से दबा हुआ मैं एक किशोर था।
ज्ञानार्जन ही है सब कुछ सब ओर यही शोर था।

बना अल्प ज्ञानी तो आई जवानी,
जो लेती रही परीक्षाएं मनमानी।
जवानी का जोश मानो आकाश में उड़ाता था,
बड़े-बुजुर्गों की सलाहें मुझे कहाँ भाता था।



और फिर प्यार हुआ, इकरार हुआ,
टूटा जब दिल, तब जाकर अज्ञान की
दरिया को पार हुआ।
कई सालों तक मैं प्यार के नशे में मदहोश रहा,
दिल में धक्का लगने तक मैं बेहोश रहा।

अब वो पुराने दिन नहीं, वो भी नहीं जीवन में,
पर, उदासी भी कहाँ घर कर पाई जीवन में।
समय इसी तरह चलता जाता रहा,
नहीं रूकता यह कभी, बस यही याद दिलाता रहा। ♦



दहेज प्रथा

सोनी कुमारी साव

लेखाकार

मूल रूप से शादी के दौरान दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को दिए जाने वाले नकदी, आभूषण, फर्नीचर, संपत्ति और अन्य कीमती वस्तुओं आदि की इस प्रथा को दहेज प्रथा कहा जाता है। यह सदियों से भारत में प्रचलित है। दहेज प्रथा समाज में प्रचलित बुराइयों में से एक है। यह मानव सभ्यता पुरानी है और यह दुनिया भर में कई हिस्सों में फैली हुई है।

क्या दहेज प्रथा से कोई लाभ है?

कई दम्पति इन दिनों स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हैं और उनको दहेज में मिली ज्यादातर नकदी, फर्नीचर, कार और अन्य ऐसी संपत्तियाँ शामिल है जो उनके लिए वित्तीय सहायता के रूप में काम करती है और उन्हें अपना नया जीवन शुरू करने में मदद करती है। शादी के वक्त दूल्हा और दुल्हन दोनों अपना कैरियर शुरू करते हैं और वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि वे इतने ज्यादा खर्चों का एक बार में वहन कर सकें। लेकिन क्या यह एक वैध कारण है? यदि यह मामला है तो दुल्हन के परिवार पर पूरा बोझ डालने के बजाय दोनों परिवारों को उन्हें बसाने में निवेश करना चाहिए। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि दोनों परिवार नव-दम्पति को बिना ऋण वित्तीय सहायता प्रदान करें।

जब बेटियों का जन्म होता है तो कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है लेकिन जब उसकी शादी की बात आती है तो वही लक्ष्मी बोझ बन जाती है। इस दहेज के कारण ही दुल्हन के माता-पिता कर्ज/ऋण से दब जाते हैं, घर, जमीन, गहने तक बिक जाते हैं। बेटा या बहन के साथ सारा सुख-चैन भी चला जाता है। ऐसा क्यों है कि दुल्हन का परिवार ही सारे खर्च का भुगतान भी करें और दहेज भी दें। क्या उन लोगों ने लड़की को लड़के की तरह पढ़ाया नहीं, पाला-पोशा नहीं

और क्या होने वाला दूल्हा या दूल्हे का परिवार सक्षम नहीं अपनी शादी खुद करने के लिए अगर नहीं तो उन्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए।

यहाँ तो दूल्हे का सौदा होता है और मोल भाव किया जाता है फिर भी वही लोग शान से समाज में घूमते हैं। “जिनका जितना भाव उनका उतना ऊँचा सर।” कई लोग यह भी तर्क देते हैं कि जो लड़कियाँ दिखने में अच्छी नहीं होती वे दूल्हे की वित्तीय मांगों को पूरा करके शादी कर लेती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लड़कियों को बोझ के रूप में देखा जाता है और जैसे ही वे बीस की उम्र पार कर लेती है, उनके माता-पिता की कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द उनकी शादी कर दे। ऐसे मामलों में भारी दहेज देना और यह बुरी प्रथा इन लोगों के लिए वरदान जैसी होती है जो अपनी बेटियों के लिए दूल्हा खरीदने में सक्षम है। दहेज प्रथा के समर्थकों द्वारा यह भी माना जाता है कि दुल्हन और उसके परिवार से भारी मात्रा में उपहार उपलब्ध कराने की स्थिति में समाज में उनके परिवार की इज्जत बढ़ जाती है।

कई मामलों में लड़कियों की एक बेशुमार संख्या शिक्षित और पेशेवर रूप से सक्षम होने के बावजूद अविवाहित रह जाती है क्योंकि उनके माता-पिता विवाह पूर्व दहेज की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। कुछ मामलों में दहेज प्रथा महिलाओं के खिलाफ अपराध को जन्म देती है। इसमें भावनात्मक शोषण और मौत तक शामिल है।

दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून

◆ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

◆ दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों

द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।

◆ धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं।

यदि किसी लड़की के विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

भारत में दहेज के कारण हत्याएं

देश में औसतन हर एक घंटे एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है। वर्ष 2007 से 2011 के बीच इस प्रकार के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों से वर्ष 2012 में दहेज हत्या के 8,233 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में करीब 7,000 हत्याएं दहेज की वजह से हुई हैं, यानी करीब 19 महिलायें हर रोज मारी गई हैं। इसके अलावा 1,700 से ज्यादा महिलाओं ने दहेज से जुड़े कारणों की वजह से आत्महत्या कर ली है। आंकड़ों का औसत बताता है कि प्रत्येक घंटे में एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है। यदि विवाह के 7 साल के अंदर दहेज प्रताड़ना से मौत होती है तो वह दहेज हत्या मानी जाती है।

दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए संभावित समाधान सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के बावजूद दहेज प्रथा की अभी भी समाज में एक मजबूत पकड़ है। इस समस्या को

समाप्त करने के लिए यहाँ कुछ समाधान दिए गए हैं –

1. शिक्षा :- दहेज प्रथा, जातिगत भेदभाव और बाल श्रम जैसे सामाजिक प्रथाओं के लिए शिक्षा का अभाव मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक है। ऐसे विश्वास प्रणालियों से छुटकारा पाने तथा तार्किक और उचित सोच को बढ़ावा देने के लिए लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि ऐसी बुरी प्रथाएं समाप्त हो सकें।

2. महिला सशक्तिकरण :- अपनी बेटियों के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित दूल्हे की तालाश में और बेटी की शादी में अपनी सारी बचत का निवेश करने के बजाय लोगों को अपनी बेटी की शिक्षा पर पैसे खर्च करने चाहिए।

महिलाओं को अपने विवाह के बाद भी काम करना जारी रखना चाहिए और ससुराल वालों के व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के प्रति झुकने के बजाय अपने कार्य पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी चाहिए।

3. लैंगिक समानता

:- हमारे समाज में मूल रूप से मौजूद लैंगिक असमानता दहेज प्रथा के मुख्य कारणों में

से एक है। बहुत कम उम्र से ही बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के समान अधिकार हैं और कोई भी एक दूसरे से बेहतर या कम नहीं है।

इसके अलावा इस मुद्दे को संवेदनशील बनाने के लिए तरह-तरह के अभियान आयोजित किए जाने चाहिए और सरकार द्वारा निर्धारित कानूनों को और भी अधिक कड़े बनाने चाहिए।

दहेज प्रथा लड़की और उसके परिवार के लिए पीड़ा का कारण है। इस कुरीति से छुटकारा पाने के लिए यहाँ उल्लिखित समाधानों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इन्हें कानून में शामिल करना चाहिए। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार और आम जनता को साथ खड़े होने की जरूरत है। ◆





दादी : एक अनुभव भरी हथेली

रंजीत सिंह

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

“चलती फिरती आँखों से अजॉ देखी है,
मैंने जन्नत तो नहीं देखी है दादी माँ देखी है।”

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ रिश्ते यूँ खास होते हैं, जो तमाम भीड़ भरी जिंदगी में भी अकेले एक ऐसा अनुभव देते हैं जो सबसे खास होता है। आज का आधुनिक जीवन इस रफ्तार से गुजर रहा है कि हम अपने जीवन के कई ऐसे पहलू या यूँ कहे रिश्ते भूलते जा रहे हैं जो किसी समय में बहुत महत्वपूर्ण थे। हालांकि जीवन में व्यक्ति अकेला महसूस जरूर करता है, पर दुःख भरे क्षण में उस व्यक्ति की छवि मात्र से शीतलता का एहसास होता है। कुछ ऐसा ही सुख भरा रिश्ता है ‘दादी’ का। खासकर मैंने अपने जीवन में जितना प्यार और दुलार अपनी दादी से पाया, उतना शायद अपनी ‘माँ’ से भी नहीं। आज के एकल परिवार की परिकल्पना ने इस रिश्ते के प्रति लोगों के मन में एक नकारात्मक भाव भर दिया है। कई बच्चों को आज ‘ग्रैंड मदर्स डे’ मनाकर इस रिश्ते के महत्व को बताना पड़ता है। कितना सहज था वह समय जब माता पिता को पता भी नहीं चलता था कि दादा-दादी के सानिध्य में कब उनके बच्चे बड़े हो गए। एक ऐसी ही कहानी आज बताने जा रहा हूँ, जो शायद सभी ने कभी न कभी महसूस किया हो।

मानसून का समय चल रहा था, रोज की तरह परिवार

के सभी लोग घर में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी दादी माँ ने अपने बेटे अमन से पूछा- “बेटा कल तुम सब विदेश चले जाओगे, तो हम और तुम्हारे पिताजी अकेले पड़ जाएंगे। कम से कम बहू को यहाँ छोड़ जाते, बच्चों के साथ फिर हमारा भी मन लगा रहता।” अमन बोला- “माँ, मैं भी यही सोच रहा था लेकिन बच्चों की शिक्षा का सवाल है। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को अच्छा माहौल और अच्छी शिक्षा मिले।” अमन के दोनों बेटे पास बैठे यह सारी बातें सुन रहे थे। बच्चे बहुत दुःखी थे क्योंकि उनको अपने दादी के यहाँ रहना था। अमन की पत्नी

(एकता), का जीवन या पालन पोषण एकल परिवार में हुआ था, वह हमेशा अपने बच्चों को केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहती थी। गलती एकता की नहीं थी बल्कि उस माहौल की थी जिसमें वह पली-बड़ी, जो आज के आधुनिक समाज की सबसे बड़ी चाहत है। एकता अपने दोनों



बच्चों में छोटे बच्चे को ज्यादा दुलार देती जबकि बड़ा बेटा राहुल सदैव उस प्यार से वंचित रहा लेकिन जब भी वह अपनी दादी के पास आता, उसको एक माँ का प्यार मिल जाता। वह अपनी दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सुबह से राहुल रो रहा था, यह दृश्य देख दादी का केलजा फट रहा था। सभी चीजें तैयार हो गईं। जाने का समय भी आ गया। अपने

माता-पिता से आज्ञा लेकर अमन और एकता अपने बच्चों के साथ विदेश चले गए। वहाँ विदेश में उनका दाखिला अच्छे स्कूलों में करवाया गया। राहुल का छोटा भाई श्याम बहुत खुशी-खुशी स्कूल जाता जबकि राहुल जो कि रंग का सांवला था, जिससे कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी, हमेशा अपनी दादी के बारे में सोचता था। वह स्कूल में भी एक कोने में बैठा रहता और एक तस्वीर जो वह अपनी दादी से मांगकर लाया था उसे देखता रहता। यहाँ दादा और दादी अकेले पड़ गए। अकेलापन पूरे घर को काटने दौड़ता था। दादी पूरे दिन अपने पोतों के बारे में सोचती, कभी-कभी तो सोचते-सोचते ही सो जाती। विदेश से जब भी फोन आता सबसे ज्यादा खुश राहुल और उसकी दादी होते। अकेलेपन के शिकार दादा-दादी का जीवन बीतता गया। बच्चे भी धीरे-धीरे बड़े होते गए। अपने बुढ़ापे को ढोते दादा-दादी केवल इंतजार में लगे रहते। राहुल 15 वर्ष का हो गया। एक दिन अचानक अमन को एक फोन आया- “बेटा तुम्हारी माँ अस्पताल में है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तुम आ जाओ” अमन घबरा गया, वह यह बात घर में नहीं बताना चाहता था क्योंकि वह जानता था जैसे ही यह बात राहुल को पता चलेगी वह माँ के पास जाने की जिद करेगा। कश्मकश में अमन को फिर पूरे परिवार के साथ भारत लौटना पड़ा। राहुल मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि वह अपनी दादी के पास जा रहा था लेकिन घर पहुंचते ही दादी को न पाकर वह बेचैन हो गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन किसी ने उसे सही बात नहीं बताई। दो दिनों बाद जब अमन, राहुल और श्याम को लेकर अस्पताल गया तो अपने दोनों पोतों को देख उनकी तबीयत में काफी सुधार आया। अपनी दादी को इस हालत में देख राहुल बहुत निराश हुआ। दादी की तबीयत धीरे-धीरे ठीक हो गई। घर आने के बाद राहुल की माँ अर्थात् एकता ने राहुल को भारत में ही

छोड़ दिया और यह बोलकर चली गई- “रहने दो इसे इसकी दादी के पास, वैसे भी जिंदगी में कुछ नहीं करेगा इसपर इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं” श्याम, अमन और एकता चले गए। राहुल को अपने पास पाकर दादी बहुत खुश थी, वह उसे वह सारे मौलिक भाव, सम्मान, तात्विक सोच और एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी ताकि वह अपने परिवार को एक माला में पिरोकर रखे। अमन और एकता श्याम की परवरिश में इस कदर जुट गए कि वे भूल गए कि उनका एक और बेटा भी है। धीरे-धीरे फोन आना भी बंद हो गया। वहाँ श्याम अच्छे स्कूल में तो जरूर पढ़ रहा था किन्तु समय के साथ उसकी आदतें बिगड़ती जा रही थी। एकता चाह कर भी इन आदतों को छुड़ा नहीं पा रही थी। यहाँ राहुल अपने दादी के सानिध्य में रहकर उनकी देखभाल करने के साथ-साथ पढ़ाई में अव्वल अंक प्राप्त करता, पूरे इलाके में राहुल अपने व्यवहार और चरित्र के लिए जाना जाने लगा। अमन और एकता परेशान होकर श्याम को भी भारत भेज दिए। उसकी आदतें बिगड़ गई थी किन्तु दादी के अनुभव भरे हाथों से खाना खाकर, उनके सानिध्य में रहकर वह भी सारे मौलिक विचारों को धीरे-धीरे सीख गया। अपने दादी के पास जाकर हुए इस बदलाव को देख एकता का मन इस बात को समझ जाता है कि एक बच्चे के जीवन में उसके परिवार का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह हर एक रिश्ते से कुछ न कुछ जरूर सीखता है। एकता और अमन भी धीरे-धीरे भारत आ गए और एक साथ मिलकर रहने लगे। राहुल एक जाने-माने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गया तथा श्याम दिल्ली में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त हुआ। अपने दादा-दादी द्वारा मिले मौलिक मूल्यों को उन्होंने सदैव साथ रखा और जीवन में माता-पिता के साथ रहकर एक खुशहाल जीवन जीने लगे। ♦





अंतिम समय में

प्रभा कांग्री

वरिष्ठ लेखाकार

अंतिम समय में हम अकाल, भूकंप, महामारी, कीमतों में बढ़ोत्तरी, विभिन्न बीमारियों के दबाव इत्यादि से गुजर रहे हैं। राज्य-राज्य में लड़ाइयाँ, देश-विदेश के विरुद्ध एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक परिस्थितियाँ हमारे बीच में जड़ की तरह फैल रही है। एक दूसरे से बातें करने पर केवल खिलाफ की ही चर्चा होती है। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना भी समाप्त हो रही है। छोटी-छोटी बातों से लड़ाई-झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। एक दूसरे के दर्द सुनने की भी शक्ति नहीं रही। अंतिम समय में हम ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं।

देश-विदेश में कोविड-19 नामक महामारी तीव्र गति से वुहान शहर से फैलती गई। विश्व में यह बीमारी फैलने के कारण न जाने कितने लोगों की जान चली गई। लोगों के बीच भी डर का माहौल छा गया तथा न जाने कितने अपने लोग मौत के घाट उतर गए। यह महामारी हमारे ही पापों के कारण उत्पन्न हुई।

यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध आरंभ हुआ पर खत्म होने का सवाल ही नहीं हो रहा। इनके बीच के युद्ध में कितनों ने अपनी जान खो दी। यूक्रेन देश तहस-नहस हो गया परंतु युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसका कारण यह है कि मनुष्यों में ज्ञान ज्यादा बढ़ गया है और सभी घमंड से चूर है क्योंकि हम विनाश की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

यमन देश तथा यमन देश के आसपास के क्षेत्र जिनमें बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया शामिल है, में कितने ही लोग अकाल के कारण भूखे मर रहे हैं। आनेवाले अंतिम समय में भी कितने लोग भूख से जान गवां बैठेंगे। विश्व में कितने ज्ञानवान व्यक्ति हैं परंतु अकाल और भूख से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। सभी इसी सवाल में फंसे हैं। धर्मग्रंथों में कितनी सत्य बात प्रकट की गई है कि अंतिम समय में अकाल और भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। उनमें लिखा है – “मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ गया ज्ञानवान? कहाँ गया शास्त्री? कहाँ गया इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया?”

जाति पर जाति, लड़ाई एवं चढ़ाई हो रही है। अपने ही जाति भाइयों के बीच मतभेद है। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ाइयों की ही चर्चा सुनने को मिलती है और इनका होना



आवश्यक भी है क्योंकि हम अंतिम समय से गुजर रहे हैं।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ग्रह के औसत सतह का तापमान लगभग 2 डिग्री फरेनहाइट (1 डिग्री सेल्सियस) तक बढ़ गया है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से वायुमंडल में कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन और अन्य मानवीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे जलवायु परिवर्तन हुए हैं जैसे तापमान में बढ़ोत्तरी, बिन मौसम बरसात, बर्फ की चोटियों का पिघलना, ओज़ोन परत में क्षरण, भयंकर तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा आदि। धर्मग्रंथ में लिखा है – “उस दिन आकाश बड़ी घड़घड़ाहट के शब्द से जलता रहेगा और तत्त्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर के काम जल जाएंगे।”

वायु प्रदूषण एक बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। परालें, पटाखें, फैक्ट्रियाँ और तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली में हवा इस कदर खराब है कि वहाँ सांस लेना तक दूभर हो गया है। दुनिया भर के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर निगरानी रखने वाले संस्था के आंकड़ों पर यदि गौर करें तो सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली

प्रथम स्थान पर है। वायु प्रदूषण के कारण किसी एक देश का कोई स्थान, बादल और काली घटा से ढँक गया था। इसी प्रदूषण के कारण कितनी ही बीमारियाँ उत्पन्न हुई हैं। धर्मग्रंथ में सत्य ही लिखा है – “उस समय मैं आकाश को ढकूँगा और तारों को धुंधला कर दूँगा। मैं सूर्य को बादल में छिपाऊँगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा।”

दुनिया भर में देखा जाए तो चीन पहले स्थान में है जो किसी ईश्वर को नहीं मानते। इसी तरह जापान, स्वीडन, यूके इत्यादि कितने ही देश हैं जो ईश्वर को नहीं मानते और नास्तिक हैं। दुनिया में धीरे धीरे धर्म का त्याग हो रहा है। अब हम सचमुच अंतिम समय से गुजर रहे हैं। धर्मग्रंथ में लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगबाज, अभिमानी, निंदक, माता-पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और ईश्वर को नहीं वरन् सुख-विलास के ही चाहने वाले होंगे। क्योंकि लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्म का त्याग न हो जाए। यह ज्ञात हो गया कि अब हम सचमुच अंतिम दिन में हैं। ♦





कोरोना संक्रमण काल में भारत

संजीब कुमार दुबे

लेखाकार

“कोरोना” एक ऐसा नाम है जो शायद पहले कभी सुना नहीं गया था। यह वायरस नवंबर 2019 में चीन के वुहान शहर के एक लैब से शुरू होकर धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। साधारणतः सर्दी, जुकाम, बुखार इसके प्रमुख लक्षण थे। इस संक्रमण से भारत देश भी अछूता नहीं रहा। इस संक्रमण ने दुनिया के लगभग हर देश को प्रभावित किया। भारत में जैसे ही इसका संक्रमण फैलना शुरू हुआ, भारत सरकार ने काफी ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जैसे ही इसे महामारी घोषित किया, भारत सरकार ने इस महामारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करना शुरू कर दिया। भारत में लगभग 35 से 40 लाख लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके थे। देश के लगभग हर राज्य में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा था। लेकिन कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार और पूरे सामाजिक सहयोग से भारत संक्रमण के मामलों और इससे होने वाली मौतों की संख्या काफी हद तक कम करने में सफल रहा। भारत में संक्रमण तथा इससे होने वाली मौतों की संख्या दुनिया में समान रूप से प्रभावित देशों की तुलना में न्यूनतम में से एक था।

भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने समय रहते बचाव, सक्रियता, समाज में जागरूकता, संक्रमण को रोकने तथा जीवन बचाने के लिए एक व्यापक स्तरीय रणनीति बनाई। पूरे देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन सरकार द्वारा लिया गया एक साहसिक कदम था जिसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। प्रधानमंत्री के द्वारा लगाए गए जनता कर्फ्यू के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई। पूरे देश की जनता ने इसमें साथ दिया और इस संक्रमण से लड़ने में एकजुटता दिखाई। पूरा

देश इस महामारी से लड़ने के लिए सामूहिक रूप से खड़ा हुआ। इस लॉकडाउन जैसे निर्णय से अनगिनत जानें बचाई जा सकी।

कहते हैं न कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस महामारी के दौरान भारत में अनेक नए आविष्कार हुए। लगभग 3-4 महीने तक भारत में अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकरण तथा बुनियादी ढांचा तैयार किया गया। इसी दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरण जिसको पहले बहुत कम उपयोग में लाया जाता था, इस समय अधिक मात्रा में बनाया जाने लगा। इसके साथ मास्क, पीपीई, एन-95 मास्क और वेन्टीलेटर जैसे उपकरण बनाए जाने लगे। उस समय तक भारत में कोई पीपीई का निर्माता नहीं था लेकिन अब इसका वृहद पैमाने में निर्माण और यहाँ तक कि निर्यात भी किया जाने लगा। कोरोना संक्रमण के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी सक्रियता दिखाई और समय-समय पर लगातार स्थिति पर निगरानी रखते हुए अपना नेतृत्व प्रदान करते रहें।

कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए भारत सरकार ने अनेक प्रक्रियाएं शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से नियमित रूप से बात किया, हर राज्य में इस संक्रमण की स्थिति को जाना और प्रभावी कोविड प्रबंधन में सहयोग करने के लिए लगातार बातचीत करते रहें।

स्थिति इतनी भयावह थी, फिर भी हमारे देश के स्वास्थ्यकर्मी अडिग रहे। अस्पतालों में बेड की कमी हो जाने के बावजूद भी हर चीज की उपलब्धता, आइशोलेशन तथा क्वॉरंटीन सेंटर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच खाने-पीने की दिक्कत न हो, इसके लिए काफी ठोस कदम उठाए गए। गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, मुफ्त गैस सिलिंडर उपलब्ध कराए गए। चूंकि इस दौरान अनेक कंपनियों में ताला लग गया। लोग बेरोजगारी

के शिकार हो गए। स्कूल, कॉलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थान लगभग बंद हो गए। बेरोजगारी के कारण लोगों को काफी कठिनाइयाँ हुई। इस समय भारत सरकार द्वारा इस तरह के निर्णय काफी सही साबित हुए।

इस महामारी ने शिक्षा के क्षेत्र को भी काफी प्रभावित किया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब बंद हो गए। पढ़ाई-लिखाई भी ऑनलाइन होने लगी। पहली बार मोबाईल के द्वारा इस तरह पढ़ाई करते देखा गया। लॉकडाउन के दौरान चूंकि सारे आवागमन के साधन जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज सब बंद थे, लोगों को आवागमन के क्षेत्र में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब इन साधनों को धीरे-धीरे बहाल किया गया तो लोगों की निगरानी शुरू की गई। सभी को पूरे देश में रोग निगरानी नेटवर्क के माध्यम से जांचा जा रहा था ताकि संक्रमण के प्रसार शृंखला को तोड़ा जा सके।

इस महामारी के प्रसार शृंखला को तोड़ने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए जैसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को क्वॉरंटेन्ट ज़ोन घोषित किया गया, घर-घर जांच अभियान चलाया गया, संक्रमण का पता लगते ही आइशोलेशन सेंटर की व्यवस्था

कर वहाँ लोगों को रखा जाने लगा। एक समय तो ऐसा भी रहा जब लोगों को अस्पताल में बेड मिलने में दिक्कत होने लगी। सरकार की सक्रियता और स्वास्थ्यकर्मी के प्रयास से हल्के लक्षण वाले मामलों के लिए आइशोलेशन के साथ कोविड देखभाल केंद्र बनाया गया, मध्यम मामलों के लिए ऑक्सीजन सुविधा के साथ हेल्थ सेंटर बनाया गया और गंभीर मामलों के लिए आईसीयू बेड के साथ कोविड हॉस्पिटल बनाया गया। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय भी इससे काफी प्रभावित हुए। लोगों में भी डर का माहौल था तथा काम-काज भी काफी हद तक प्रभावित हुआ।

इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बदलाव देखा गया। इस समय टेली-मेडिसिन के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। कुछ दवाओं के नाम हर जगह लोगों को याद हो गए। डॉक्टरों के द्वारा फोन पर ही दवाओं के नाम बताए जाने लगे। लोग विभिन्न ऐप के माध्यम से दवाओं के नाम खोजने लगे और उसका उपयोग करने लगे। आयुष मंत्रालय ने भी संजीवनी नामक मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से काफी जानकारी दी। ♦





परोपदेश

शिवानंद

कनिष्ठ अनुवादक

हम बहुत सारे कार्य करने की योजना बनाते हैं पर उसमें से कुछ ही करने में सफल होते हैं, उसमें बहुत सारी योजनाएं अव्यावहारिक और कपोल कल्पित होती हैं जिसे व्यवहार में कर पाना असंभव या दुष्कर होता है। लेकिन जब हम किसी को सलाह देते हैं तो उसे एक से एक आदर्श की बात बताते फिरते हैं, यह भी नहीं सोचते कि व्यवहार में वह कर पाना सम्भव ही नहीं है, कई व्यक्ति तो ऐसे सलाह देते नजर आते हैं कि मानो वह मनुष्य नहीं बल्कि कोई देवदूत है। कई लोग ऐसे मशवरे देते दिखाई पड़ते हैं जिसका पालन वह अपने जीवनकाल में कभी किए ही नहीं है। जैसे अगर रोज झूठ बोलने वाला व्यक्ति, झूठ न बोलने की सलाह दे तो यह तो हास्यास्पद ही होगा, हाँ यह बात अलग है कि यदि वह झूठ बोलना छोड़ दे तब झूठ नहीं बोलने की सलाह दे तो उसकी बात का प्रभाव सामने वाले पर अवश्य पड़ेगा। यह तो बस एक उदाहरण है ऐसे अनेक सलाह हम लोगों को देते रहते हैं जिसका हम स्वयं पालन नहीं करते। यह आदत धीरे-धीरे हमें अविश्वसनीय और प्रशंसा का पात्र बना देती है।

इस संबंध में तुलसीदास जी द्वारा रामचरित मानस में लिखी चौपाई बहुत ही प्रासंगिक है :-

"पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे"

अर्थात् दूसरों को उपदेश देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो उसका पालन स्वयं भी करते हैं।

इसी सम्बंध में गांधी जी का एक दृष्टान्त सुनने में आता है कि एक बार एक व्यक्ति गांधी जी के पास अपने बेटे को लेकर आया, और बोला कि मेरा बेटा मिठाई बहुत खाता है, कृपया इसे समझा दीजिए कि यह कम मिठाई खाया करे यह आप की बात मान जाएगा, तब गांधी जी ने कुछ सोचा और बोला कि आप एक सप्ताह बाद आइए तब समझाऊँगा। वह व्यक्ति एक सप्ताह के बाद पुनः गांधी जी के पास उपस्थित हुआ। तब गांधी जी उसके बेटे को समझाते हुए बोले कि बेटा ज्यादा मिठाई नहीं खाया करो, इससे स्वास्थ्य खराब होता है। गांधी जी की बात सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित होते हुए बोला कि जब इतना ही कहना था तो पहले दिन क्यों नहीं कहा। तब गांधी जी ने बताया कि उस समय तक मैं भी बहुत मिठाई खाता था तब उसे कैसे मना कर सकता था, मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं इसे छोड़ पाऊँगा या नहीं, जब एक सप्ताह मैंने मिठाई नहीं खाई तो मुझे समझ में आया कि बिना खाए भी रहा जा सकता है इसलिए अब उसे समझाने के योग्य हो गया हूँ।

इससे स्पष्ट होता है कि जब हम किसी बात का आचरण स्वयं करते हैं तब उसकी शिक्षा लोगों को दें तो वह लोगों पर ज्यादा प्रभाव डालती है और लोग हमारी बात का विश्वास भी करते हैं। सच तो यह है कि हम लोगों के कार्य और आचरण से ज्यादा सीखते हैं इसलिए कहा भी गया है कि जो परिवर्तन हम समाज में लाना चाहते हैं उसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी चाहिए। ♦





तीन छोटी कविताएं

मनोरंजन पाणिग्राही
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

सुख

मैं दुख की नदी बनाता हूँ,
सावन में वह उफनती जाती है
और मैं डूब जाता हूँ उस पूर्णगर्भा दुख की नदी में,
सुख की चार बुलबुलें उसके ऊपर उड़ते हैं
फिर मिट जाते हैं चुटकी में।

देवलोक

इस तरफ का दृश्य बांध देता है मेरी आँखों को,
इस तरफ का घर-संसार, बूढ़े माँ-बाप, माया और कविता,
इस तरफ का दुख, शोक, जरा, मृत्यु और नई प्रेमिका,
दूसरी तरफ का अनदेखा देवलोक
स्वर्ग, अमृत, इंद्रपद, उर्वशी और मेनका।

तुम

तुम्हारे आने से कविता में आएंगे शब्द,
शब्द में अर्थ, अर्थ से महकेगी खुशबू।
तुम्हारे आने से आकाश में फैलेगी नीले चाँद की चाँदनी,
झर-झर बहेगा झरना।
तुम्हारे आने से भूखे को मिलेगी रोटी,
विस्थापित को मिट्टी,
तन की लाज ढकने को थोड़ा सा धागा।
तुम्हारे आने तक कागज के खाली घर में
वैसे ही शून्य में निहारती बैठी होगी कविता। ♦





गाँव-गाँव और शहर-शहर

अभिषेक कुमार

सहायक लेखा अधिकारी

मुझे मेरे पैतृक गाँव गए छः महीने से अधिक हो चुके हैं। घटते कर्मचारी और बढ़ते कार्यभार के चलते कार्यालय में व्यस्तता काफी बढ़ गई है। हर महीने एक नया लक्ष्य और उसे नियत समय में पूरा करने की बाध्यता। जब आप व्यस्त होते हैं तो समय के बीतने का एहसास नहीं होता। छः महीने, छः सप्ताह की तरह बीत गए हैं परंतु रह-रहकर घर की याद आती रहती है। खासकर मेरे गाँव का सुरम्य वातावरण और माता-पिता सहित परिवार। मैं गाँव में ही पला-बढ़ा हूँ तो मेरा गाँव के प्रति लगाव अधिक है।

शहर में रहते हुए दस वर्ष से अधिक हो आए हैं। अब-तक कई शहरों में जाने-आने का अवसर मिला है। इसीलिए शहरों के बारे में अनायास ही विस्तृत अनुभव हो आया है। मन ही मन में शहर और गाँव की तुलना किया करता हूँ। उन्हीं तुलनात्मक अध्ययन का कुछ अंश मैं साझा कर रहा हूँ।

बीते कुछ दशकों में बेहतर सुख-सुविधा की लालसा ने गांवों को वीरान और शहरों को अति जन घनत्व वाला बना दिया है। मेरा गाँव नदी के उत्तरी किनारे पर बसा हुआ है और लगभग 1000 एकड़ में फैला हुआ एक हरा-भरा गाँव है जहाँ 350 परिवार रहते हैं। पिछले तीन दशकों में गाँव में रहने वाले लोगों की आबादी कम हुई है परंतु सुंदरता में ज्यादा कमी नहीं हुई है। हर गाँव की तरह ही मेरा गाँव भी बड़ा ही सुंदर और नैसर्गिक शांति से सम्पन्न है। नदी के किनारे बसा होने के कारण गाँव की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। मेरे गाँव के पश्चिम में शिव मंदिर, उत्तर में ब्रह्मस्थान, पूरब में एक मठ और दक्षिण में भगवती स्थान है जो चारों दिशाओं से आध्यात्मिक सुरक्षा घेरा बनाता है। गाँव के मध्य में लोगों के घर हैं तथा पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में खेतिहर जमीन तथा पूरब और दक्षिण-पूर्व में आम, लीची के बगीचे एवं अन्य पेड़ पौधों का इलाका है। गाँव के भीतर कई विशाल वट-वृक्ष पीपल के पुराने पेड़, बेल, नीम आदि के पेड़ हैं जो गाँव की

शुद्ध हवा के बिना मोल के वितरक है। वट-वृक्ष और पीपल के वृक्ष के नीचे लोगों ने देवताओं को स्थापित किया है और समय-समय पर इन पेड़ों के नीचे पूजा-पाठ होता रहता है। लगभग हर घर के आँगन में और दरवाजे पर तुलसी शोभा पाती है और रंग-बिरंगे फूलों की क्या रियाँ भी।

कितना विचारणीय है ना, कि जिन पेड़-पौधों की विशेषताएं विज्ञान पिछले कई दशकों की मेहनत के बाद जान पाया है, उनका आदर और उपयोग गाँव के लोग शदियों से करते आ रहे हैं। सच में प्रकृति का पालना तो गाँव ही है। फिर भी न जाने क्यों शहरी लोग गाँव वालों को गंवार कहते हैं। गाँव के वातावरण में जब आश्विन मास आता है तब नवरात्री का त्यौहार मनाया जाता है। सुबह-शाम धूप-दीप की सुगंध तथा शंख, घाटियों और ढोलक के नाद से सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। दशहरा के बीस दिन बाद दीपावली और दीवाली के छः दिनों बाद बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा मनाया जाता है। छठ पूजा के कुछ दिन पहले ही नदी, तालाब, पोखर की सफ़ाई का अभियान शुरू हो जाता है। छठ पूजा के दिन नदी, तालाब, पोखर के किनारे सुंदर घाटें बनाई जाती है और उन्हें केले के पौधे, कनैल, अशोक की डालियों, बांस की टहनियों से सजाकर सुंदर रमणीय बनाया जाता है।

फिर गाँव के सभी लोग घाटों पर एकत्रित हो सूर्यदेव की उपासना करते हैं और आपस में मिलते-जुलते हैं। छठ पूजा का अपना वैज्ञानिक महत्त्व तो है ही साथ ही सामाजिक समरसता भी बढ़ती है और नदियों, तालाबों और पोखरों की सफ़ाई भी हो जाती है। हम अपने पर्व-त्यौहारों पर विचार करें तो ये सभी मानव को प्रकृति से जोड़ने का काम करती है। शरद ऋतु के पर्व-त्यौहारों के बाद शीत ऋतु में रवि फसल जैसे गेहूँ, सरसो, चना, मसूर, अलसी आदि पोषित होती है और सुबह में इनपर पड़ी ओस की बूंदें बड़ी ही मनोहर

लगती है। फिर बसंत के आते ही आम के मंजर, सरसो के पीले तथा अलसी के नीले फूल और हरे- भरे खेत चारों ओर ऐसा मनोरम दृश्य बनाते हैं जैसे स्वर्ग कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर आ गया हो।

गाँव की सुबह अत्यंत रमणीय होती है। हवा की शुद्धता सहज ही महसूस हो जाती है, वहीं शाम में झींगूर की आवाज गाँव की अविरल शांत को डरावना नहीं होने देती। गेहूँ के हरे-भरे सुंदर और कई एकड़ में फैले खेत मन को मोह लेते हैं। गाँव के किसानों के पशु धन चारागाहों में चरकर हष्ट-पुष्ट होते हैं। बसंत में विभिन्न फूलों की सुगंध हवा में सहजता से महसूस होती है। शहर हमें सुख-सुविधा और भोग-विलास तो प्रदान करते हैं पर शांति के लिए हमें गाँव की ओर ही लौटना पड़ेगा और फिर जीवन का आधार "भोजन" भी गाँव से ही आता है। गाँव में हर चीज शुद्ध और सहज अवस्था में होती है, चाहे वह व्यक्ति हो या वस्तु, मिलावट तो शहर के रास्ते में ही हो जाती है।

गाँव की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट तथा सुंदर, शीतल, सुगंधित हवा से शुरू होती है, वहीं शहर की सुबह चौक-चौराहों पर चाय-कॉफी उबल रहा होता है और कई जगहों पर तो कुछ लोग चाय के साथ बीड़ी, सिगरेट पी रहे होते हैं तथा खुद के साथ-साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और बचा हुआ कसर गाड़ियों के धुएँ पूरा कर देते हैं।

शहरों के लिए मल्टी ग्रेन डब्बे में बंद एक सामग्री हो गई है, पर विभिन्न अन्नों से बने व्यंजन का लाभ तो गाँव में ही मिलता है। जहां शहर पिज्जा-बर्गर खाकर अपने पाचन का बंटाधार कर रहा है, वहीं गाँव आज भी मक्के/ज्वार/बाजरा/रागी की रोटी खाकर पाचन मजबूत कर रहा है। गाँव के लोग जल्दी सोते और जल्दी जगते हैं, जिससे वे सहज ही स्वस्थ हो जाते हैं। शहरी लोग देर से सोते हैं और देर से जगते हैं और स्वास्थ्य को एक संघर्ष बना लेते हैं। गाँव में लोग आज भी नमस्कार, प्रणाम या राम-राम करते हैं और शहर में लोग गुड मॉर्निंग/आफ्टरनून/ईवनिंग/नाईट की कामना करते हैं।

पाश्चात्य देशों में सुबह के गुड होने की कामना की जाती है, क्योंकि सूर्य अक्सर देर से दर्शन देते हैं और हमारी जठराग्नि पर सूर्य का काफी प्रभाव पड़ता है। सुबह में भर पेट भोजन का प्रावधान गाँव में आज भी है क्योंकि बढ़ते सूरज के

साथ हमारा पाचन अच्छा रहता है, फिर दोपहर में सुबह से कम और रात्री के प्रथम पहर में अल्प भोजन का प्रावधान है।

मैंने शहरों का विस्तार काफी करीब से देखा है। मेरे एक रिश्तेदार ने शहर में घर बनाया है, जबकि उनका घर शहर से मात्र 10-15 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव में है। जब उन्होंने शहर में जमीन लिया था, तो उस इलाके में आम, लीची, सीसम, ताड़, खजूर के पेड़ बहुतायत में थे। मात्र दस सालों में उन सबको काटकर इमारतें बना दी गईं। शहर में बस जाने की होड़ में लोगों ने बुद्धि का त्याग कर दिया है। ठसा-ठस भीड़ वाले इलाकों में घर बनाकर रहना, जहां हरियाली के नाम पर बालकनी और छतों पर रखे गमलों के फूल और पेड़ रह गए हैं।

गाँव सहज ही मिलनसार है, वहीं शहरों में मिलनसार होने से लोग परहेज करते हैं। शहरों में हॉस्पिटलिटी मैनेजमेन्ट की पढ़ाई भी कराई जाती है, वहीं ग्रामीण परिवेश में आतिथ्य सत्कार एक स्वाभाविक कर्तव्य है। गाँव की हवा दवा का काम करती है वहीं शहरी हवा जहरीली हो गई है। मैं शहरी व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हूँ परंतु मूर्खों के द्वारा बसाये गए शहर के विरुद्ध जरूर हूँ क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य के अतिरिक्त अन्य घटक भी हैं जिनकी अनदेखी कभी न खत्म होने वाली समस्या को आमंत्रित करती है। कम होती खेतिहर जमीन और गमलों में सिमटता हुआ जंगल चिंता का विषय है। एक ऐसी चिंता जो काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। जरूरत है ध्यान देने और ध्यान करने की। डब्बों जैसे दिखने वाले अपार्टमेंट वाले घर लोगों के दिमाग को भी डब्बे जैसा ही बना दिया है। शहरीकरण अगर नियंत्रित और सुनियोजित हो तो लाभदायक हो सकता है। गौर से देखें तो भारत की आत्मा भारत के गाँव ही है क्योंकि मानवीय सभ्यता का विकसित होना सहज होने में है न कि जटिल होने में।

मैंने अपने अनुभव के आधार पर गाँव और शहर की तुलना की है। मेरे विचार में व्यक्ति को हमेशा अपने गाँव से जुड़े रहना चाहिए जहां सुख-दुख में बिन बुलाए भी लोग शामिल हो जाते हैं वहीं शहर में बगल के अपार्टमेंट में दिवंगत हुए व्यक्ति के बारे में कई महीनों बाद पता चलता है। शहरीकरण सुख-सुविधा के लिए आवश्यक हो सकता है परंतु शांति तो गाँव में ही प्राप्त हो सकती है। ♦



मृत्युभोज की तार्किकता

रवि कुमार

सहायक लेखा अधिकारी

मृत्यु के पश्चात् हिंदू धर्म में सोलह संस्कार अर्थात् मृतक संस्कार को जानने से पूर्व यह जान लेना समीचीन होगा कि मृत्यु क्या है ? मृत्यु होने पर मनुष्य कहां जाता है ? किस अवस्था में रहता है ? आत्मा का अस्तित्व है या नहीं ? यह सभी जिज्ञासा आदिम युग से ही मानव मन और मस्तिष्क को आंदोलित करती रही है। किन्तु अभी तक इस संदर्भ में कोई प्रामाणिक उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है

हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर एक घर है जिसके हृदय क्षेत्र में आत्मा निवास करता है जो हमारी इंद्रियों, मन एवं बुद्धि को चैतन्य बनाता है। शरीर से इस अजर अमर आत्मा का निकल जाना ही मृत्यु है। अगर हम दर्शन की बात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही नास्तिक एवं देहवादी लोग मृत्यु होने पर आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते रहे हैं। उन्हीं में से एक चार्वाक ऋषि भी हुए हैं उनका मत था शरीर ही आत्मा है। शरीर छोड़कर आत्मा नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं। शरीर मरने पर आत्मा का भी अवसान हो जाता है जो वस्तु इंद्रिय ग्राह्य नहीं उसके अस्तित्व को वे स्वीकार नहीं करते थे उनकी नीति थी:-

न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः ।

नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ।।

यावज्जीवेत्सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।।

अर्थात् “जब तक जीवित हो स्वयं को भोग से वंचित मत करो। सुख एवं आराम से जीवन की आनंद सुधा का पान करते रहो। भविष्य का विचार मूर्खता छोड़कर और कुछ नहीं। तुम्हें जो कुछ भी आवश्यक लगे उसे जैसे भी हो प्राप्त कर लो। तुम्हारे पास धन नहीं खूब ऋण ले लो नहीं तो भिक्षा करके ही जुटा लो। मरने के बाद तो किसी भी कार्य के लिए कोई उत्तरदायी होगा नहीं तब फिर भावना किस बात की

खाओ, पियो, मौज करो।”

इसी प्रकार पारसी, क्रिस्चियन एवं मुस्लिम धर्म स्वर्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मानते हैं इन सभी धर्मों में स्वर्ग को एक चिरस्थायी एवं अक्षय स्थान माना गया है जहां दुःख नहीं है। कथा अनंत काल तक सुख भोग किया जा सकता है। किंतु हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू मतानुसार सभी लोक यहां तक कि स्वर्ग लोक भी कुछ काल के लिए हो सकता है करोड़ों वर्ष के लिए स्थायी हो सकता है परंतु चिरस्थायी अथवा अपरिवर्तनीय नहीं है तभी तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं “ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोक ऐसे स्थान हैं जहां से सब को वापस आना ही होगा किंतु जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता।”

वेदान्त में इस जड़वादी चिंतन धारा का खंडन किया गया है। भगवद्गीता गीता में कहा गया है “मनुष्य की आत्मा अविनाशी है अस्त्र के द्वारा इसे छेदन नहीं किया जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता तथा जल द्वारा इसे भिगोया भी नहीं जा सकता। इस आत्मा को जो हंता एवं हन्त विचार करते हैं वे नहीं जानते कि आत्मा न हत्या करती है न हत होती है।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।।2.23।।

श्रीमद् भगवद्गीता में ही यह भी कहा गया है कि:-

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही।।2.22।।

अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता

है। आत्मा के अपना वैशिष्ट्य बनाए रखने के संबंध में वेदांत कहता है कि प्रत्येक जीवात्मा पार्थिव जीवन की समस्त अभिज्ञता संस्कार एवं धारण संग ले जाती है। मन, बुद्धि एवं इंद्रिय ज्ञान भी जीवात्मा के संग रहता है। अतः जो भी विचार या कर्म वह करता है उसका समस्त फल संस्कार रूप में साथ ही जाता है।

कठोपनिषद में नचिकेता के पिता जब विश्वजीत यज्ञ के बाद बूढ़ी एवं बीमार गायों को ब्राह्मणों को दान में देने लगे तो नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे दान में किसे देंगे? तब नचिकेता के पिता क्रोध से भरकर बोले कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। चूंकि ये शब्द यज्ञ के समय कहे गए थे, अतः नचिकेता को यमराज के पास जाना ही पड़ा। यमराज अपने महल से बाहर थे, इस कारण नचिकेता ने तीन दिन एवं तीन रातों तक यमराज के महल के बाहर प्रतीक्षा की।

तीन दिन बाद जब यमराज आए तो उन्होंने इस धीरज भरी प्रतीक्षा से प्रसन्न होकर नचिकेता से तीन वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि जब वह घर वापस पहुंचे तो उसके पिता उसे स्वीकार करें एवं उसके पिता का क्रोध शांत हो। दूसरे वरदान में नचिकेता ने जानना चाहा कि क्या देवी-देवता स्वर्ग में अजर एवं अमर रहते हैं और निर्भय होकर विचरण करते हैं! तब यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिया, जिसे नचिकेता भी कहते हैं। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा कि 'हे यमराज, सुना है कि आत्मा अजर-अमर है। मृत्यु एवं जीवन का चक्र चलता रहता है। लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है।' नचिकेता ने पूछा कि इस मृत्यु एवं जन्म का रहस्य क्या है? क्या इस चक्र से बाहर आने का कोई उपाय है?

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाऽहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥

अर्थात् कोई कहते हैं मनुष्य मरने पर सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कोई कहते हैं मनुष्य मरने के पश्चात् भी बचा रहता है इन दोनों में से कौन सत्य है ?

नचिकेता प्रश्न : किस तरह शरीर से होता है ब्रह्म का ज्ञान व दर्शन?

यमराज : मनुष्य शरीर दो आंखें, दो कान, दो नाक के छिद्र, एक मुंह, ब्रह्मरन्ध्र, नाभि, गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्म की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म-मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है।

नचिकेता प्रश्न : मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं?

यमराज : यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी-सुनी बातों के आधार पर पाप-पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं, वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़-पौध, पहाड़, तिनके आदि।

गरूड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यो तक वह वहीं रहता है।

13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। फिर प्रारब्ध के अनुसार उसे पारितोषिक या दण्ड मिलता है।

अंत्येष्टि क्रिया के समय मंत्र बोला जाता है:- जाओ, जाओ उसी पथ पर जाओ जिस प्राचीन पथ पर हमारे पूर्व पुरुष गए हैं, सकल पापों को फेंक कर उसी ज्योतिर्मय देश में लौट जाओ तब वहां जाकर उनके साथ मिल जाओ। वेदों में ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं जिनमें आर्य जाति के मरणोत्तर सत्ता में विश्वास की बात देखी जाती है।

दोस्तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि ये चार तत्व हमारी जिन्दगी के अभिन्न अंग हैं। इन सबों में एक खास बात यह है कि यह सभी अत्यंत दुखदायी होते हैं शायद इसीलिए

इस संसार को दुःखालय भी कहा जाता है। इनमें भी मृत्यु सर्वाधिक दुखदायी एवं भयावह होती है। इसीलिए तो अर्जुन जैसे गीता ज्ञानी भी अपने पुत्र अभिमन्यु के शोक में अर्ध विक्षिप्त से हो गए थे कई बार अपने सगे संबंधी एवं रिश्तेदारों की मौत से लोग मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं जो सर्वथा अनुचित है भारतीय वैदिक परम्परा के सोलह संस्कारों में मृत्यु यानी अंतिम संस्कार भी शामिल है। इसके अंतर्गत मृतक के अग्नि या अंतिम संस्कार के साथ कपाल क्रिया, पिंडदान आदि किया जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार तीन या चार दिन बाद श्मशान से मृतक की अस्थियों का संचय किया जाता है। सातवें या आठवें दिन इन अस्थियों को गंगा, नर्मदा या अन्य पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। दसवें दिन घर की सफाई या लिपाई-पुताई की जाती है। इसे दशगात्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एकादशगात्र को पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन, पिंडदान व महापात्र को दान आदि किया जाता है। द्वादशगात्र में गंगाजली पूजन होता है। गंगा के पवित्र जल को घर में छिड़का जाता है। अगले दिन त्रयोदशी पर तेरह ब्राह्मणों, पूज्य जनों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों को सामूहिक रूप से भोजन कराया जाता है। इसे ही मृत्युभोज कहा जाने लगा है। यह इतना खर्चीला हो गया है कि कई दुखी परिवारों की कमर टूट जाती है वे कर्ज तक में डूब जाते हैं।

ये थी वैदिक व्यवस्था

वैदिक परम्परा के अनुसार मृतक के घर पर आज भी लोग कपड़े आदि लेकर जाते हैं। इसका दायरा पहले और भी व्यापक था। परिचित व रिश्तेदार क्षमतानुसार अपने घरों से अनाज, राशन, फल, सब्जियां, दूध, दही मिष्ठान आदि लेकर मृतक के घर पहुंचते थे। लोगों द्वारा लाई गई तरह-तरह खाद्य सामग्री ही बनाकर लोगों को खिलाई जाती थी। इसे पहले समाज के प्रबुद्धजनों विद्ववानों यानी ब्राह्मणों को दिया जाता

था और वे अपने हाथों से बनाकर भोजन ग्रहण करते थे। अब तो खास रिश्तेदार भी मात्र वस्त्र आदि लेकर मृतक के घर पहुंचते हैं। बाकी लोग सद्भावना लिए केवल खाली हाथ ही पहुंच जाते हैं। वास्तव में दोस्तों मृत्यु भोज की परंपरा पहले जहां व्यक्ति को मानसिक और सामाजिक संबल देने के लिए संपन्न की जाती थी वही वर्तमान में यह केवल दिखावा बनकर रह गई है हमें यह भी सोचना चाहिए कि जब हम पाश्चात्य संस्कृति को अंधाधुंध तरीके से अपनाते हुए अपने जीवन के 1 वर्ष के समाप्ति के प्रसंग को अत्यधिक खर्चीला बनाते हुए पार्टी करते हैं तब हमें कोई आपत्ति नहीं होती ? जबकि हमारी सभ्यता और संस्कृति में दिया जलाकर खुशियों के आगमन की सूचना दी जाती है। जबकि बर्थडे पार्टी में हम अपने क्षय होते जीवन का चिंतन और मनन करने की बजाय मोमबत्ती बुझा कर अपनी खुशियों का नंगा नाच करते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह केवल इतना ही है कि अगर मृत्यु भोज पर ऐतराज है तो हमें बर्थडे पार्टी और शादी की एनिवर्सरी पर होने वाले खर्चों पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए साथ ही टाटा और अंबानी जैसे परिवारों में, फिल्म स्टार्स और क्रिकेटरों में अरबों रुपए खर्च कर देश-विदेश में होने वाली शादियों को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए।

दोस्तो भारतीय संस्कृति में जीवात्मा को मुक्त करने वाली मृत्यु का सीमित और सभ्य उत्सव मनाया जाता है ताकि समाज को अपने अंतिम सत्य का ज्ञान हो सके और वो सद्कर्म करते हुए अपना बचा जीवन सुधार सके।

जीवन की हर घटना का उत्सव मनाते हो तो मृत्यु का क्यों नहीं? मृत्यु और जन्म सतत प्रवाह है जीवन का।

जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः - भगवतगीता।

जो जीवन का ध्रुव सत्य हो, उसके प्रति इतनी वितृष्णा क्यों?

मृत्यु के भय के कारण ही तो कभी तुम जीवन न जी पाये। जान न पाए कि जीवन क्या है? ♦



जिंदगी

शुभश्री पात्रा

सुपुत्री - टी.प्रसाद राव पात्रा (लेखाकार)

तेरी आँखें क्यों है नम?
यहाँ हर जिंदगी में है गम।
माना दुःख अनेक है,
पर खुशी नहीं है कम।
खिल जा जरा पंख खोल उड़ जा जरा,
यहाँ जिंदगी भी है कम।

चलता जा तू आगे बढ़ता जा।
मौसम है ये, बदल जाएगा,
पतझड़ बाद बसंत फिर आएगा।
जिंदगी है आगे चलता जाएगा,
उजाले के बाद घोर अंधेरा फिर छाएगा।
डरता क्यों है तू?
एक दिन तो तू मर जाएगा।
समय है, आगे बढ़ जाएगा,
तू नहीं चला तो पीछे रह जाएगा।
पर ये दिन फिर नहीं आएगा।
“आज” जी ले तू,
कल जो होगा सो कल होगा;
वरना बाद में तू पछताएगा।





थोड़ा ठहरो तो सही

रंजीत सिंह

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

थोड़ा ठहरो तो सही.....
वो दिन भी आएगा,
लंबी सी राह की छोटी सी पगडंडी पर,
फिर से गुनगुनायेंगे रंगीन पहिए।

थोड़ा ठहरो तो सही
बसों की अनजानी लड़ाई में,
दोस्ती की अनजानी परछाई में,
शाम की दीवानी भीड़ में,
घंटों खड़े रहकर इंतजार करने का,
समय आएगा।

थोड़ा ठहरो तो सही
एक गुनगुनाती शाम में,
ढलती सूरज की रोशनी में,
पूरे भारत का न्यूज़,
गप्पे ठहाकों के साथ,
दादा भाई की दुकान में,
फिर से छाएगा।

थोड़ा ठहरो तो सही
गुनगुनाते हुए राहों पर,
मध्यम बारिश में गरम उसकी हथेलियों को पकड़,
राह चलने का समय आएगा।



थोड़ा ठहरो तो सही
बीत जाएगा यह समय भी,
निशा विभावरी की छांव में,
शीतल होकर वह बरसती रात आएगी।

थोड़ा ठहरो तो सही
वह स्कूल कॉलेज जाने की कश्मकश,
सुबह-सुबह लगी कक्षाओं का टशन,
शिक्षकों की गर्म चाय और,
गपशप फिर से आएगा।

थोड़ा ठहरो तो सही
शाम दीवानी सुबह मस्तानी,
के साथ, नए कपड़े और बाजे के साथ,
कोई बारात फिर से आएगा।

थोड़ा ठहरो तो सही
कोलकाता की खुशियां और हावड़ा ब्रिज पर,
चलती ठंडी हवाओं के साथ,
थकी हारी जिंदगी में कैरियर वाला सवाल,
फिर से आएगा।

थोड़ा ठहरो तो सही
यह दिन भी मधुशाला की लंबी सीख सिखाएगा,
थोड़ा ठहरो तो सही।। ♦



खो गया

अजय कुमार साव

कनिष्ठ अनुवादक

खो गया
खुद को इन अनजान रास्तों
की सुख से भरी जिंदगी में
अपने सपनों के पंखों में
उड़ान की तलाश में।

खो गया
रिश्तों की सूखी ज़मीन
के लिए शीतल
जल की तलाश में।

खो गया
ताकि खुद को खोज सकूँ
उस अंधेरे रास्ते से
जहाँ रोज
लाखों सपने खो जाते हैं।

खो गया वो शहर
जहाँ की
अंधेरी रात
के उजाले में संजोये थे
रंगीन सपने।

खो गया वो अपना पन भी
कहीं तालाश सुख के करने में
खो गया



एक राह, जलती थी
जिसमें खुशियों की लाली।

खोज रहा हूँ
खुद को भी
शायद कहीं मिल भी जाऊँ
जैसे खोजने से मिल जाते है
देव कहीं।

याद बनकर रह गयी अब
वो गली अपनी पुरानी
हो जिसे हम सोचते कब
छूटेगी साथ हमारी।

अब भला क्या बोल सकते
है किरण क्या इतनी प्यारी
मद्धिम रोशनी में
है बरसता आंखों से
हर रोज पानी।

खो गया
क्या-क्या लिखूँ
कहीं कहानी न ये बन जाये
खो गया और खोजने के
बीच में बनी
यह कविता हमारी। ♦



